

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

मत

हमने कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2019 को तुलन-पत्र, उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण यथापेक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2019 को कंपनी के कार्यों की स्थिति उसके लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकद प्रवाहों की भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां भाग में वर्णित की गई हैं। हम उन नीतिगत अपेक्षाओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नीति संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम और उसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के तहत एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए संगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नीति संहिता के अनुसार अपनी नीतिगत जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व और शासन पर लगाए गए दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में यथा-उल्लिखित इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), अधिनियम की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 में निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकद प्रवाहों में परिवर्तनों की सही तस्वीर देते हैं। इस जिम्मेवारी में यह भी शामिल है कि कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए और धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं संसूचन के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखे जाएं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग किया जाए; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन किए जाएं; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन तथा रख-रखाव किया जाए, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे जो उन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुती से संगत हैं जो सही के कारण हो या त्रुटि के कारण हो।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में निदेशक बोर्ड कंपनी की एक चलती रहने वाली कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू स्थिति प्रकट करने, चल रही कंपनी से संबंधित मामलों और तब तक लेखांकन की चल रही कंपनी के आधार का प्रयोग करने का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है जबकि निदेशक बोर्ड या तो कंपनी का परिसमापन करने का इरादा करे अथवा प्रचालन बंद कर दे अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक बोर्ड कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी होता है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक गलत विवरण से मुक्त है, क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, और लेखा परीक्षा की उस रिपोर्ट को जारी करने के लिए जिसमें हमारा मत शामिल है, गलत विवरण से मुक्त हैं। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, परंतु एक गारंटी नहीं होती है कि लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा उस वास्तविक गलत विवरण का हमेशा पता लगाए जो मौजूद है। गलत विवरण धोखाधड़ी

और त्रुटि से बन सकते हैं और यदि अलग-अलग अथवा समग्र रूप में वास्तविक माने जाते हैं तो वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रत्याशित हो सकते हैं।

लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों का वास्तव में गलत विवरण देने के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करने कि क्या वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित करने और तैयार करने तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के कारण हैं जो कि हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में टकराव, धोखेबाजी, इरादतन चूक, गलत प्रतिनिधित्व अथवा आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड हो सकता है।
- लेखा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए लेखा परीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस संबंध में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और उन नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता भी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन का चल रही कंपनी के आधार का प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या उन घटनाओं और स्थितियों से संबंधित वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है जिनसे कंपनी के रूप में जारी रहने की योग्यता पर काफी संदेह बन सके। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर हैं। तथापि, भावी घटनाओं अथवा स्थितियों से कंपनी का चालू रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।

- प्रकटनों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण उल्लिखित लेन-देनों और उन घटनाओं का उस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं जो उचित प्रस्तुति हासिल करती हैं।

हम आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी जिसकी हम लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखा परीक्षा एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों के नियोजित क्षेत्र और समय एवं अन्य मामलों के संबंध में शासन पर लगाए गए मामलों के साथ सूचित करते हैं।

हम एक विवरण के साथ शासन पर लगाए गए वही मामले भी देते हैं जिनका हमने स्वतंत्र होने के संबंध में संगत नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उनको सूचित करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले जो हमारी स्वायत्ता को लेने के लिए उपयुक्त रूप से माने जाएं और जहां लागू हों, संबंधित रक्षोपाय हों।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट:

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षाओं के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट विषयों संबंधी विवरण यथा लागू सीमा तक संलग्न "अनुबंध-I" में देते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच के आधार पर जिसे हम उपयुक्त मानते हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप निर्देशों के में संबंध में "अनुबंध-II" में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क. हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
 - ख. जहां तक लेखा बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।
 - ग. इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण और नकद प्रवाह विवरण के संबंध में ब्यौरे दिए गए हैं, वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - घ. हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

- ड. सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसरण में निदेशकों को अयोग्य ठहराने संबंधी इस अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के संबंध में, "अनुबंध-III" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
- छ. सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में इस अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह सूचित करते हैं कि-
- कंपनी में कोई लंबित विवाद नहीं है जिनका उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।
 - कंपनी की कोई दीर्घकालिक संविदाएं, जिसमें व्युत्पन्न करार भी शामिल हैं, नहीं थीं जिनके लिए कोई वास्तविक पूर्वानुमानीय हानियां हों।
 - ऐसी कोई धनराशि नहीं थीं जिसे कंपनी द्वारा निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की अपेक्षा थी।

कृते राज के श्री एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 014141एन

रोहित वसवानी

(साझीदार)

सदस्यता संख्या : 095991

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 21.05.2019

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-1

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध

हम रिपोर्ट देते हैं कि:

- 1) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड का रख रखाव किया है।

जैसा कि हमें बताया गया है, सभी अचल परिसंपत्तियां प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध रूप से और उपयुक्त तरीके से वास्तविक रूप से सत्यापित कर दी गई हैं जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त हैं। हमें बताया गया है कि बही रिकार्डों की तुलना में ऐसे सत्यापन के संबंध में कोई वास्तविक विसंगतियां जानकारी में नहीं आई थीं।

- 2) कंपनी की कोई मालसूची नहीं है। अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- 3) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में कंपनियों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूति सहित अथवा प्रतिभूति रहित, नहीं दिया है।
- 4) हमारे मत में और दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत निर्धारित किए गए अनुसार अपने किसी भी निवेशक को तथा उसकी ओर से कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूति नहीं है तथा कंपनी ने किए गए ऋणों के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- 5) कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे मत में कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
- 6) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लागत रिकार्डों का रख रखाव कंपनी के किसी भी क्रियाकलाप के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

148 की उप धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

- 7) क) कंपनी ने उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर एवं अन्य सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देय जमा करने में नियमित है। हमें दिए गए सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सांविधिक देयों के देय होने की तारीख से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए कोई बकाया अविवादित सांविधिक देय नहीं है।
ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्यवर्धित कर के संबंध में कोई विवादित सांविधिक देय भुगतान योग्य नहीं है जो 31 मार्च, 2019 को बकाया हो।
- 8) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था अथवा डिबेंचरधारक से कोई ऋण नहीं लिया है। अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (viii) कंपनी पर लागू नहीं है।
- 9) कंपनी ने वर्ष दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर अथवा आगे पब्लिक ऑफर (ऋण प्रपत्रों सहित) और सावधि ऋण के रूप में कोई धन नहीं जुटाया है। अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (ix) कंपनी पर लागू नहीं है।
- 10) की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी द्वारा अथवा कंपनी पर उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान नहीं देखी गई है और न ही इसकी सूचना मिली है।
- 11) सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की अनसूची V के साथ पठिन धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं। अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (xi) कंपनी पर लागू नहीं है।
- 12) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है, अतः चूक के संबंध में आदेश के पैरा 3 का खंड (xii) कंपनी पर लागू नहीं है।
- 13) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन अपने व्यापार की साधारण प्रक्रिया में किए हैं और इसीलिए अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं। तथापि, लागू लेखांकन

मानकों की अपेक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों में इन लेन-देनों के ब्यौरे प्रकट किए गए हैं।

- 14) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई पक्षपातपूर्ण आबंटन/प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं दिए हैं। अतः आदेश के पैरा 3 का (xiv) कंपनी पर लागू नहीं है।
- 15) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेन-देन नहीं किए हैं। अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- 16) हमारे मत में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कृते राज के श्री एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 014141एन

रोहित वसवानी

(साझीदार)

सदस्यता संख्या : 095991

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 21.05.2019

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-II

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध।

**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा
सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी निर्देशों के उत्तर**

| क्रम सं. | विवरण | उत्तर |
|----------|---|---|
| 1. | क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रिया के लिए कोई प्रणाली लागू है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हैं, सहित लेखों की सत्यनिष्ठा के संबंध में आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रिया के प्रभाव बताए जाएं। | जी हाँ, कंपनी में आईटी प्रणाली अर्थात् ओरेकल के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रिया करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी में ओरेकल में तैनात प्रविष्टियों की सत्यता का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली है। |
| 2. | क्या मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है अथवा ऋणों/ब्याज आदि की छूट अथवा बट्टे खाते में डालने के कोई मामले हैं जो कंपनी की ऋण को लौटाने की अक्षमता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा दिए गए थे? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताएं जाएं। | ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं हैं, अतः यह खंड लागू नहीं है। |
| 3. | क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का समुचित रूप से हिसाब लगाया गया था/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची। | केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य कोई निधियां नहीं हैं। अतः यह खंड लागू नहीं है। |

कृते राज के श्री एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 014141एन

रोहित वसवानी

(साझीदार)

सदस्यता संख्या : 095991

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 21.05.2019

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-III

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ-साथ, कंपनी के उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की "लेखापरीक्षा के बारे में निदेशात्मक टिप्पणी" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होता है। इन दायित्वों में अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करने, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा करने, धोखाधड़ी और त्रुटियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय से तैयार किए जाने सहित कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रभावी रूप से अमल में लाए जा रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप-रेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उनका अनुपालन करते रहना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा का संचालन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में जारी मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार किया है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर यथा स्थिति

प्रयोज्य अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित समझे गए हैं, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी भी लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं, और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और मार्गदर्शक टिप्पणियां यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस बारे में तर्कसंगत रूप से आश्वस्त होने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक की स्थापना की गई थी और उसका रख-रखाव किया गया था और क्या ये सभी नियंत्रण हर दृष्टि से प्रभावी रूप से प्रचालित किए गए थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में समझ प्राप्त करना, किसी गंभीर कमजोरी की मौजूदगी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूप रेखा एवं प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। इसके लिए चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षा के विनिश्चय, जिसमें वित्तीय विवरणों के गंभीर मिथ्या-कथनों, चाहे वे कपट से किए गए हों या गलती से हो गए हों, के जोखिमों का आकलन शामिल है, पर निर्भर करती हैं।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली के बारे में हमारी लेखा परीक्षा राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय उस प्रक्रिया से है, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के बारे में यथोचित विश्वास पैदा किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और पद्धतियां शामिल होती हैं, जो (1) ऐसे अभिलेख तैयार किए जाने के बारे में होती हैं, जिनसे उस कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान की सटीक और निष्पक्ष तस्वीर यथोचित विवरण के साथ प्रस्तुत करते हैं; (2) इस आशय का यथोचित विश्वास दिलाते हैं कि लेन-देन यथावश्यक तरीके से वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए गए हैं और कंपनी का पावती एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों को

दिए गए प्राधिकार के अनुसरण में ही किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों, जिनका गंभीर प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ सकता था, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान से बचाव या इनका समय से पता लग जाने का यथोचित विश्वास दिलाते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन अथवा उल्लंघन शामिल हैं, के कारण गलती या धोखाधड़ी से किए जाने वाले गंभीर मिथ्या कथन और इनका पता भी न चल पाने की स्थिति बन सकती है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का भावी अवधियों पर अनुमान इस जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में, सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और ये वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 को, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में निदेशात्मक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड में आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते राज के श्री एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 014141एन

रोहित वसवानी

(साड़ीदार)

सदस्यता संख्या : 095991

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 21.05.2019

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)

31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र

(₹ सौ में)

| | विवरण | टिप्पणी सं. | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (I) | परिसंपत्तियां | | | | |
| (1) | गैर-चालू परिसंपत्तियां | | | | |
| | (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर | 4 | 83,59,147.25 | 83,59,723.00 | 83,60,016.48 |
| | (ख) चल रहे पूंजीगत कार्य | 5 | 1,35,80,085.81 | 1,15,49,522.47 | 98,09,133.98 |
| | (ग) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | |
| | (i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 6 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 |
| | (घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां | 7 | 13,83,412.68 | 13,83,412.68 | 12,77,559.76 |
| | कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां | | 2,43,87,633.97 | 2,23,57,646.37 | 2,05,11,698.45 |
| (2) | चालू परिसंपत्तियां | | | | |
| | (क) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | |
| | (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य | 8 | 130.54 | 137.03 | 143.52 |
| | (ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 9 | 1,645.76 | 1,645.76 | 1,645.76 |
| | कुल चालू परिसंपत्तियां | | 1,776.30 | 1,782.79 | 1,789.28 |
| | कुल परिसंपत्तियां | | 2,43,89,410.27 | 2,23,59,429.16 | 2,05,13,487.72 |
| (II) | इक्विटी एवं देयताएं | | | | |
| (1) | इक्विटी | | | | |
| | (क) इक्विटी शेयर पूंजी | 10 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | (ख) अन्य इक्विटी | 11 | 3,208.90 | 3,208.90 | 3,208.90 |
| | कुल इक्विटी | | 8,208.90 | 8,208.90 | 8,208.90 |
| (2) | देयताएं | | | | |
| (क) | गैर - चालू देयताएं | | | | |
| | (क) वित्तीय देयताएं | | | | |
| | (i) उधार | 12 | 1,53,01,062.39 | 1,39,32,997.32 | 1,20,34,174.99 |
| | (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 13 | 83,57,437.37 | 83,57,437.37 | 83,57,437.37 |
| | कुल गैर - चालू देयताएं | | 2,36,58,499.76 | 2,22,90,434.69 | 2,03,91,612.36 |
| (ख) | चालू देयताएं | | | | |
| | (क) वित्तीय देयताएं | | | | |
| | (i) अन्य वित्तीय देयताएं | 14 | 6,73,420.73 | 5,052.99 | 66,523.91 |
| | (ख) अन्य चालू देयताएं | 15 | 49,280.88 | 55,732.58 | 47,142.55 |
| | कुल चालू देयताएं | | 7,22,701.61 | 60,785.57 | 1,13,666.46 |
| | कुल इक्विटी एवं देयताएं | | 2,43,89,410.27 | 2,23,59,429.16 | 2,05,13,487.72 |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1-3

वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां देखें

1-42

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

(पूर्णा चंद्र हेम्बराम)
निदेशक

(आलोक सूद)
निदेशक

(नवीन भूषण गुप्ता)
अध्यक्ष

डीआईएन: 02750881

डीआईएन: 02394376

डीआईएन: 00530741

समान तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
के लिए और की ओर से
राज के. श्री एंड कं.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीकरण सं. : 014141एन)

रोहित वसवानी
(साइनीदार)
सदस्यता सं. : 095991
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.05.2019

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ सौ में)

| विवरण | टिप्पणी सं. | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| प्रचालनों से राजस्व | | - | - |
| अन्य आय | | - | - |
| कुल आय (I) | | - | - |
| व्यय: | | | |
| अन्य व्यय | | - | - |
| कुल व्यय (II) | | - | - |
| कर पूर्व लाभ (I- II =III) | | - | - |
| कर व्यय: (IV) | | | |
| चालू कर | 17 | - | - |
| आस्थगित कर | | - | - |
| अवधि के लिए लाभ (III - IV = V) | | - | - |
| अन्य व्यापक आय (VI) | | - | - |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय (V + VI =VII) | | - | - |
| प्रति इक्विटी शेयर अर्जन : (VIII) | | | |
| मूल एवं डाइल्यूटेड (प्रति 10 रुपये मूल्य के बराबर) | 18 | - | - |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1-3

वित्तीय विवरणों पर साथ की टिप्पणियां देखें

1-42

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

(पूर्णा चंद्र हेम्बराम)

(आलोक सूद)

(नवीन भूषण गुप्ता)

निदेशक

निदेशक

अध्यक्ष

डीआईएन: 02750881

डीआईएन: 02394376

डीआईएन: 00530741

समान तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और की ओर से

राज के. श्री एंड कं.

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

(फर्म पंजीकरण सं. : 014141एन)

रोहित वसवानी

(साझीदार)

सदस्यता सं. : 095991

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21.05.2019

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ सौ में)

| | विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| क. | प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह: | | |
| | कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) | - | - |
| | कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचानात्मक लाभ/(हानि) | - | - |
| | कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के लिए समायोजन : | | |
| | - अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी) | 6,68,367.74 | (61,470.92) |
| - अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी) | (6,451.70) | 8,590.03 | |
| - अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि/(कमी) | - | - | |
| | प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से सृजित नकदी | 6,61,916.04 | (52,880.89) |
| | आय कर का भुगतान किया गया | - | - |
| | प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह | 6,61,916.04 | (52,880.89) |
| ख. | निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह: | | |
| | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में जोड़े | - | - |
| | चल रहे पूंजीगत कार्य में वृद्धि | (20,29,987.60) | (17,40,095.01) |
| | अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)कमी | - | (1,05,852.92) |
| | अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)कमी | - | - |
| | निवेशात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह | (20,29,987.60) | (18,45,947.93) |
| ग. | वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह: | | |
| | उधार से आय | 13,68,065.06 | 18,98,822.33 |
| | वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह | 13,68,065.06 | 18,98,822.33 |
| | नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल (वृद्धि) | (6.49) | (6.49) |
| | 01 अप्रैल (आरंभिक शेष) को नकदी एवं नकदी समतुल्य | 137.03 | 143.52 |
| | 31 मार्च (अंतिम शेष) को नकदी एवं नकदी समतुल्य (टिप्पणी-8) | 130.54 | 137.03 |
| | से युक्त: | | |
| | चालू खातों में बैंकों में शेष | 130.54 | 137.03 |

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

(पूर्णा चंद्र हेम्बराम)

निदेशक

डीआईएन: 02750881

(आलोक सूद)

निदेशक

डीआईएन: 02394376

(नवीन भूषण गुप्ता)

अध्यक्ष

डीआईएन: 00530741

समान तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

के लिए और की ओर से

राज के. श्री एंड कं.

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

(फर्म पंजीकरण सं. : 014141एन)

रोहित वसवानी

(साझीदार)

सदस्यता सं. : 095991

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21.05.2019

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)

इक्विटी 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ सौ में)

| विवरण | राशि |
|---|---------------|
| 01 अप्रैल, 2017 को शेष वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 5,000.00 - |
| 31 मार्च, 2018 को शेष वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | 5,000.00 - |
| 31 मार्च, 2019 को शेष | 5,000.00 |

ख. अन्य इक्विटी

(₹ सौ में)

| विवरण | राशि |
|--|---------------|
| प्रतिधारित आय | |
| 01 अप्रैल, 2017 को शेष वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017-2018) के लिए कुल व्यापक आय | 3,208.90 - |
| 31 मार्च, 2018 को शेष वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-2019) के लिए कुल व्यापक आय | 3,208.90 - |
| 31 मार्च, 2019 को शेष | 3,208.90 |

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

(पूर्णा चंद्र हेम्बराम)
निदेशक
डीआईएन: 02750881

(आलोक सूद)
निदेशक
डीआईएन: 02394376

(नवीन भूषण गुप्ता)
अध्यक्ष
डीआईएन: 00530741

समान तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
के लिए और की ओर से
राज के. श्री एंड कं.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीकरण सं. : 014141एन)

रोहित वसवानी
(साझीदार)
सदस्यता सं. : 095991
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.05.2019

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

1. निगम सूचना

यह कंपनी भारत सरकार के एक उपक्रम पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 09 जनवरी, 2017 को निगमित की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, ऊर्जा निधि, 1, बाराखंबा लेन, कर्ना प्लेस, नई दिल्ली - 110001 में स्थित है। कंपनी कोल ब्लॉक लाइसेंस, कोल ब्लॉक भूमि, विद्युत संयंत्र भूमि और विद्युत प्रणाली के निर्माण, प्रचालन और रख रखाव के लिए और चेन्नई में तमिलनाडु (परियोजना) राज्य में 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के भूमि, कोयला ब्लॉकों आदि के लाइसेंस पट्टे पर देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए कॉरीडोरों हेतु भूमि तथा एकीकृत ईंधन प्रणाली के लिए भूमि रखने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) है।

2. सामान्य

(क) अनुपालन का विवरण तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण लेखांकन की ऐतिहासिक लागत और बीमांकिक आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एस" के रूप में उल्लिखित) और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में हैं। ये कंपनी के प्रथम इंड एस वित्तीय विवरण हैं। इंड एस में अंतरण की तारीख 1 अप्रैल, 2017 है।

वित्तीय विवरणों में पूर्व आवधिक के आंकड़े इन लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी के प्रथम इंड एस के विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त किए गए हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कि इसकी प्रकार्यात्मक मुद्रा है।

कंपनी द्वारा पहली बार अपनाए जाने की ली गई छूटों का ब्यौरा टिप्पणी संख्या 39 में दर्शाया गया है।

इन वित्तीय विवरणों में धनराशि दो दशमलव अंकों तक निकटतम सौ रुपये में राउंड ऑफ की गई है (जब तक कि अन्यथा न दर्शाया गया हो)।

(ख) प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को वे अनुमान और अवधारणाएं करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख को राजस्व, व्यय और परिसंपत्तियों और देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटनों की सूचित की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों और उल्लिखित अवधारणाओं की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। लेखांकन प्राक्कलनों में संशोधन उस अवधि में माना जाता है जिसमें प्राक्कलन में संशोधन किया जाता है और किसी भावी अवधि में प्रभावित होते हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) आय/व्यय की मान्यता

आय एवं व्यय को बीमांकिक आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) उधार लागत

उधार लागतों, जो अधिग्रहण, अचल संपत्तियों के निर्माण, जिन्हें उनके अपेक्षित प्रयोग के लिए तैयार करने में काफी समय लगता है, को उस सीमा तक उन परिसंपत्तियों की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जहां तक वे उस अवधि से संबंधित होती हैं जब तक वे परिसंपत्तियां प्रयोग में रखे जाने के लिए तैयार हों। अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में लगाया जाता है जिनमें वे खर्च की जाती हैं।

(ग) चल रहे पूंजीगत कार्य

निर्माण अवधि के दौरान भूमि के अधिग्रहण/सर्वेक्षण/अध्ययन/जांच/परामर्श/प्रशासन/मूल्यहास/ब्याज आदि पर किए गए व्यय और अन्य व्यय पूंजीकृत किए जाते हैं और उन्हें चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में माना जाता है।

(घ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

- i. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मर्दें आरंभिक तौर पर लागत पर मानी जाती हैं। बाद का मापन लागत में से संचित मूल्यहास और संचित हानि घटा, यदि कोई है, को घटाकर किया जाता है जिसमें फ्री होल्ड भूमि नहीं होती है जिसका मूल्यहास नहीं किया जाता है। सक्रिय प्रयोग से अलग की गई पीपीई की मद तथा निपटान के लिए रखी गई मद बुक मूल्य से कम पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर उल्लिखित की गई है।
- ii. पीपीई की मद निपटान पर अमान्य की गई है अथवा जब कोई भावी आर्थिक लाभ परिसंपत्ति के सतत प्रयोग से उत्पन्न होने की उम्मीद न हो। पीपीई की किसी मद के निपटान अथवा उसे अलग करने पर होने वाले लाभ अथवा किसी हानि का निर्धारण परिसंपत्ति की निवल निपटान आय और वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ व हानि विवरण में माना जाता है।

(ड) मूल्यहास एवं परिशोधन

पीपीई की मदों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के तहत निर्धारित अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी लागत को ध्यान में रखते हुए हासित मूल्य पद्धति के रूप में आनुपातिक आधार पर अथवा कंपनी द्वारा अनुमानित कम उपयोगी जीवनकाल पर दिया जाता है।

परिशोधन कंपनी द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवनकाल में सीधी पद्धति के तहत किया जाता है।

(च) अवधि पूर्व व्यय

वास्तविक अवधि पूर्व त्रुटियों को उन प्रस्तुत पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशि का पुनः उल्लेख करते हुए पूर्व की तारीख में संशोधित किया जाता है जिनमें वह त्रुटि हुई है। यदि त्रुटि प्रस्तुत शीघ्र अवधि से पूर्व हुई है तो उस प्रस्तुत शीघ्र अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी के आरंभिक शेष पुनः उल्लिखित किए जाते हैं।

(छ) नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी में हाथ में नकदी और मांग जमा होते हैं। कंपनी नकद समतुल्यों को सभी अल्पकालिक शेषों (तीन माह की मूल परिपक्वता से अथवा अधिग्रहण की तारीख से कम), अत्यधिक परिसमापक निवेशों के रूप में मानती है जो नकद की ज्ञात धनराशि में तैयार रूप से परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के कम जोखिम के अधीन होते हैं।

(ज) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है जिससे कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के लेन-देनों और विगत अथवा भावी नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के अंतरों अथवा बीमाकों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालनात्मक, निवेश और वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह अलग किए जाते हैं।

(झ) कराधान

आय कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर होते हैं। इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है जब यह उस मद से संबंधित हो जिसे ओसीआई में अथवा इक्विटी में सीधे ही माना जाए जिस मामले में कर इक्विटी में सीधे ही अथवा ओसीआई में भी माना जाता हो।

वर्तमान कर अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों और रिपोर्टिंग की तारीख को लागू कर दरों का प्रयोग करके तथा पूर्व वर्ष के संबंध में देय कर के समायोजनों का प्रयोग करके वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर है।

आस्थगित कर वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कर योग्य आय के परिकलन में प्रयुक्त तदनुसूची कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों पर माना जाता है। आस्थगित उन कानूनों के आधार पर कर दरों पर मापा जाता है जो रिपोर्ट की तारीख तक अधिनियमित किए गए हैं अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं ऑफसेट होती हैं, यदि वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कोई कानूनी रूप से लागू किए जाने योग्य अधिकार हो और वे उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित होते हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्ति कम किए जाने वाले सभी अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक मानी जाती है कि यह संभव हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कम किए जाने वाले अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है और उस सीमा तक कम की जाती है कि आगे यह संभव न हो कि संबंधित कर लाभ वसूल किए जाएं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उस सीमा तक कम की जाती है कि यह आगे संभव न हो कि पर्याप्त कर योग्य लाभ परिसंपत्ति के सभी भागों को वसूल करने की अनुमति देने के लिए उपलब्ध हों।

(ज) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- i. प्रावधानों को उस समय माना जाता है जब कंपनी का विगत क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) हो, यदि यह संभव हो कि कंपनी को दायित्व का निपटान करना होगा और दायित्व की धनराशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके। प्रावधान के रूप में मानी गई राशि दायित्व के घेरे में जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित राशि का सर्वोत्तम अनुमान होता है। जब किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित कुछ अथवा सभी आर्थिक लाभ तीसरे पक्षकार से वसूल किए जाने की उम्मीद होती है तो प्राप्त राशि को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, यदि यह वास्तविक रूप से निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्त राशि का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।
- ii. जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी अथवा धनराशि का अनुमान विश्वसनीय रूप से नहीं लगाया जा सकता तो दायित्व को लेखा संबंधी टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाहों की संभावना सुदूर न हो।
- iii. आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं माना जाता है बल्कि वहां प्रकट किया जाता है जहां आर्थिक लाभ का बहिर्प्रवाह संभव हो।
- iv. इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और वर्तमान प्रबंधन प्राक्कलन दर्शाने के लिए समायोजित किए जाते हैं।

(ट) वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं उस समय मानी जाती हैं जह कंपनी वित्तीय दस्तावेजों के संविदागत प्रावधानों का पक्षकार बनती है।

आरंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं उचित मूल्य जमा/घटा लेन-देन लागत पर मानी जाती हैं जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा इश्यू और वित्तीय देयताओं के कारण होती हैं। यदि वे वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं, जो लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मानी जाती हैं, उसकी लेन-देन लागत लाभ तथा हानि विवरण में मानी जाती हैं।

ठ.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की नियमित रूप से सभी खरीददारियां और बिक्रियां निपटान तारीख के आधार पर मान्य/अमान्य की जाती हैं।

आरंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर या तो परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर उनकी पूर्णता में मापी जाती हैं।

i) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और मापन (इक्विटी दस्तावेजों को छोड़कर)

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

जो वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, उन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- परिसंपत्ति व्यापारिक पटल के अंतर्गत रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना होता है; और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें नकद प्रवाह की निर्धारित तारीखों पर वृद्धि देती हैं जो पूर्णतः बकाया मूल धनराशि पर मूल एवं ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) होती हैं।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्ति का मापन एफवीटीओसीआई पर तब किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की जाएं:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह एकत्रित कर और वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री कर दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें नकद प्रवाह की निर्धारित तारीखों पर वृद्धि देती हैं जो पूर्णतः बकाया मूल धनराशि पर मूल एवं ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) होती हैं।

ग) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय संपत्ति का मापन एफवीटीपीएल पर किया जाता है जब तक कि उसका मापन लाभ एवं हानि विवरण में माने गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत अथवा एफवीटीओसीआई पर न किया गया हो।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

क) आरंभिक मान्यता के बाद, कंपनी परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) को मान्यता देती है। ऋण परिसंपत्तियों को छोड़कर इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन जीवनकाल प्रत्याशित हानियों के बराबर राशि पर किया जाता है।

ईसीएल की मान्यता और मापन के लिए हानि संबंधी अपेक्षाएं एफवीटीओसीआई पर ऋण परिसंपत्ति में समान रूप से लागू की जाती हैं, सिवाय इसके कि ईसीएल को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और तुलन पत्र में ली गई राशि से कम नहीं किया जाता है।

ख) ऋण परिसंपत्तियों की हानि और लैटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के तहत प्रतिबद्धताएं:

कंपनी जीवनकाल ईसीएल के बराबर राशि पर ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन करती है, यदि कोई ऋण हानि हो अथवा आरंभिक मान्यता से ऋण हानि में काफी वृद्धि (एसआईसीआर) भी हो। यदि आरंभिक मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं है तो कंपनी 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर ईसीएल का मापन करती है। जब इसका मूल्यांकन किया जा रहा हो कि क्या आरंभिक मान्यता से एसआईसीआर हुआ है तो कंपनी उपयुक्त एवं समर्थन योग्य सूचना को मानती है जो अनुचित लागत और प्रयास के बिना उपलब्ध है। यदि कंपनी पूर्व अवधि में जीवनकाल ईसीएल के रूप में हानि भत्तों का मापन करती है, परंतु बाद की अवधि में यह निर्धारित करती है कि ऋण गुणवत्ता में सुधार के कारण आरंभिक मान्यता से कोई एसआईसीआर नहीं हुआ है तो कंपनी पुनः 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते का मापन करती है। ईसीएल का मापन ऋण हानि, ऋण परिसंपत्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर करती है और अन्य ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में इसका मापन सामान्यतः समान समूहों का प्रयोग करके सामूहिक आधार पर किया जाता है।

ग) हानि घाटों और उसके विपरीत स्थिति को लाभ एवं हानि विवरण में माना जाता है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की अमान्यता

कंपनी उस समय वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाएं अथवा जब वह वित्तीय परिसंपत्ति तथा पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी प्रतिफल दूसरे पक्षकार को अंतरित करती हो।

वित्तीय परिसंपत्ति का उसकी पूर्णता में अमान्य होने पर परिसंपत्ति की वहन राशि तथा प्राप्त एवं प्राप्य मानी गई राशि के बीच अंतर, तथा संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे अन्य व्यापक आय में माना गया था

तथा इक्विटी में समुचित किया गया था, लाभ एवं हानि विवरण में माना जाता है, यदि उस हानि अथवा लाभ को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा माना गया होता।

ठ.2 वित्तीय देयताएं

i) व्युत्पन्नों को छोड़कर सभी वित्तीय देयताएं और वित्तीय गारंटी संविदाएं बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय देयताओं की आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। बाद में ईआईआर को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार संबंधित पुनः निर्धारित तारीख को चल रही ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए अद्यतन किया जाता है।

ii) वित्तीय देयताओं की अमान्यता

कंपनी उस समय वित्तीय देयताओं को अमान्य करती है, जब और केवल जब कंपनी की देयताएं पूरी हो गई हों, रद्द हो गई हों अथवा समाप्त हो गई हों, अमान्य वित्तीय देयता की वहन राशि तथा प्रदत्त एवं देय राशि के बीच अंतर लाभ एवं हानि विवरण में माना जाता है।

(ड) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूलभूत आय का परिकलन कर पश्चात निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर कम की गई आय का परिकलन कर पश्चात लाभ को प्रति शेयर मूलभूत आय निकालने के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर किया जाता है जो सभी कम किए जाने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकते थे।

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

4. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(₹ सौ में)

| विवरण | स्वामित्व में | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | ईडीपी उपस्कर | कार्यालय एवं अन्य उपस्कर | भूमि | कुल |
| लागत अथवा मानी गई लागत | | | | | |
| 01 अप्रैल, 2017 को शेष | 2,940.94 | 1,690.39 | 1,301.14 | 83,57,437.37 | 83,63,369.84 |
| जोड़े | - | - | - | - | - |
| हटाएं | - | - | - | - | - |
| 31 मार्च, 2018 को शेष | 2,940.94 | 1,690.39 | 1,301.14 | 83,57,437.37 | 83,63,369.84 |
| जोड़े | - | - | - | - | - |
| हटाएं | - | - | - | - | - |
| 31 मार्च, 2019 को शेष | 2,940.94 | 1,690.39 | 1,301.14 | 83,57,437.37 | 83,63,369.84 |
| संचित मूल्यहास | | | | | |
| 01 अप्रैल, 2017 को शेष | 961.17 | 1,586.20 | 805.99 | - | 3,353.36 |
| जोड़े | 161.49 | 5.31 | 126.68 | - | 293.48 |
| हटाएं | - | - | - | - | - |
| 31 मार्च, 2018 को शेष | 1,122.66 | 1,591.51 | 932.67 | - | 3,646.84 |
| जोड़े | 470.75 | 11.46 | 93.54 | - | 575.75 |
| हटाएं | - | - | - | - | - |
| 31 मार्च, 2019 को शेष | 1,593.40 | 1,602.97 | 1,026.21 | - | 4,222.59 |
| वहन राशि: | | | | | |
| 01 अप्रैल, 2017 को | 1,979.77 | 104.19 | 495.15 | 83,57,437.37 | 83,60,016.48 |
| 31 मार्च, 2018 को | 1,818.28 | 98.88 | 368.47 | 83,57,437.37 | 83,59,723.00 |
| 31 मार्च, 2019 को | 1,347.54 | 87.42 | 274.93 | 83,57,437.37 | 83,59,147.25 |

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

5. चल रहे पूंजीगत कार्य

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| चल रहे आरंभिक पूंजीगत कार्य | 1,03,68,581.22 | 86,28,192.73 | 86,28,192.73 |
| जोड़ें: निर्माण अवधि के दौरान व्यय से अंतरित (टिप्पणी 17) | 20,30,563.35 | 17,40,388.49 | - |
| | 1,23,99,144.56 | 1,03,68,581.22 | 86,28,192.73 |
| भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय | 11,80,941.25 | 11,80,941.25 | 11,80,941.25 |
| | 1,35,80,085.81 | 1,15,49,522.47 | 98,09,133.98 |

6. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| परिशोधित लागत पर ली गई बीमांकिक ब्याज परंतु संबद्ध पक्षकार से देय नहीं | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 |
| | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 |

7. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| - प्रतिभूतिरहित, अच्छी मानी गई (परिशोधित लागत पर) पूंजीगत अग्रिम | | | |
| पशुपालन एवं मतस्य पालन की भूमि के लिए जमा | 9,48,038.46 | 9,48,038.46 | 9,48,038.46 |
| भूमि अधिग्रहण के प्रशासनिक व्यय के लिए अग्रिम | 1,46,794.22 | 1,46,794.22 | 41,541.30 |
| चेन लिंकिंग और फेंसिंग कार्य के लिए अग्रिम | 2,88,580.00 | 2,88,580.00 | 2,87,980.00 |
| | 13,83,412.68 | 13,83,412.68 | 12,77,559.76 |

8. नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| बैंकों में शेष: चालू खातों में | 130.54 | 137.03 | 143.52 |
| | 130.54 | 137.03 | 143.52 |

9. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| अप्रतिभूति रहित, अच्छी समझी गई | | | |
| नकद में अथवा वस्तु में वसूली योग्य अग्रिम | 1,645.76 | 1,645.76 | 1,645.76 |
| | 1,645.76 | 1,645.76 | 1,645.76 |

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

10. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| प्राधिकृत शेयर पूंजी 10 रुपये प्रत्येक के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 को: 50,000; 01 अप्रैल, 2017 को: 50,000) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| जारी की गई, अंशदान की गई और प्रदत्त पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं: 10 रुपये प्रत्येक के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 को: 50,000; 01 अप्रैल, 2017 को: 50,000) पूर्णतः प्रदत्त | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |

(i) वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्समाधान:

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | | 31 मार्च, 2018 को | |
|--------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| | धारित शेयरों की संख्या | राशि | धारित शेयरों की संख्या | राशि |
| वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर | 50,000 | 5,000.00 | 50,000 | 5,000.00 |
| वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में बकाया शेयर | 50,000 | 5,000.00 | 50,000 | 5,000.00 |

(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमान्यताएं और प्रतिबंध:

कंपनी में प्रति 10 रुपये शेयर के मूल्य के बराबर वाले इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रति शेयर पर एक मत के लिए पात्र है। निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरधारण के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र है।

(iii) धारक कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के ब्यौरे:

| विवरण | शेयरों की संख्या | राशि |
|---|------------------|----------|
| 31 मार्च, 2019 को पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड* | 50,000 | 5,000.00 |
| 31 मार्च, 2018 को पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड* | 50,000 | 5,000.00 |
| 01 अप्रैल, 2017 को पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड* | 50,000 | 5,000.00 |

(iv) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों के ब्यौरे:

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | | 31 मार्च, 2018 को | | 01 अप्रैल, 2017 को | |
|--|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| | धारित शेयरों की संख्या | % | धारित शेयरों की संख्या | % | धारित शेयरों की संख्या | % |
| पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी * | 50,000 | 100% | 50,000 | 100% | 50,000 | 100% |

* पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा और उसके सदस्यों के माध्यम से धारित इक्विटी शेयर हैं।

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

11. अन्य इक्विटी

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| प्रतिधारित आय | | | |
| वर्ष के आरंभ में शेष | 3,208.90 | 3,208.90 | 3,208.90 |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | - | - | - |
| वर्ष के अंत में शेष | 3,208.90 | 3,208.90 | 3,208.90 |

12. उधार (गैर चालू)

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| परिशोधित लागत पर ली गई, प्रतिभूतिरहित प्रतिबद्धता अग्रिम | 40,00,000.00 | 40,00,000.00 | 40,00,000.00 |
| बीमांकिक ब्याज परंतु संबंधित पक्षकारों से उधार पर देय नहीं | 43,00,978.96 | 38,54,646.36 | 34,35,246.37 |
| (क) | 83,00,978.96 | 78,54,646.36 | 74,35,246.37 |
| संबद्ध पक्षकार से ऋण एवं अग्रिम | 45,92,030.72 | 45,36,298.15 | 37,10,491.25 |
| बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | 24,08,052.71 | 15,42,052.81 | 8,88,437.37 |
| (ख) | 70,00,083.43 | 60,78,350.96 | 45,98,928.62 |
| (क+ख) | 1,53,01,062.39 | 1,39,32,997.32 | 1,20,34,174.99 |

उधार के लिए पुनर्भुगतान की शर्तें: कंपनी के अंतरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर उसके सफल बोलीदाताओं को देय।

13. अन्य वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| परिशोधित लागत पर ली गई भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि | 83,57,437.37 | 83,57,437.37 | 83,57,437.37 |
| | 83,57,437.37 | 83,57,437.37 | 83,57,437.37 |

14. अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| चालू - परिशोधित लागत पर देय व्यय | 6,73,420.73 | 5,052.99 | 66,523.91 |
| | 6,73,420.73 | 5,052.99 | 66,523.91 |

15. अन्य चालू देयताएं

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| सांविधिक देय | 49,280.88 | 55,732.58 | 47,142.55 |
| | 49,280.88 | 55,732.58 | 47,142.55 |

16. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| लेखा परीक्षा शुल्क | 1,150.50 | 1,150.50 |
| बैंक प्रभार | 6.49 | 6.49 |
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 3,456.24 | 3,351.53 |
| टुअर एवं परिवहन व्यय | 3,428.03 | 20,924.46 |
| मूल्यहास | 575.75 | 293.48 |
| जनशक्ति प्रभार | 5,11,186.11 | 3,97,394.45 |
| बाहर से साधन लेने का व्यय | 72,006.61 | 92,588.98 |
| विविध व्यय | 723.81 | 744.28 |
| वाहन संचालन व्यय | 21,376.96 | 25,423.91 |
| दूरभाष व्यय | 1,563.93 | 1,738.53 |
| विधिक, व्यावसायिक एवं परामर्शी प्रभार | 44,680.24 | 53,058.51 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 20,764.31 | 24,097.95 |
| ब्याज व्यय | 13,49,644.37 | 11,19,615.43 |
| कुल | 20,30,563.35 | 17,40,388.49 |

17. आय कर

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| चालू कर | | |
| चालू वर्ष के संबंध में | - | - |
| आस्थगित कर | | |
| चालू वर्ष के संबंध में | - | - |
| चालू वर्ष में माना गया कुल आय कर व्यय | - | - |
| वर्ष के लिए आय कर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित रूप में लेखांकन लाभ में किया जा सकता है: | | |
| कर पूर्व लाभ | - | - |
| लागू कर दर | 26.00% | 25.75% |
| परिकलित कर व्यय | - | - |
| लाभ या हानि में माना गया आय कर व्यय | - | - |

18. प्रति शेयर आय

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| मूल एवं कम की गई आय प्रति शेयर | | |

| | | |
|---|--------|--------|
| प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य | 10 | 10 |
| इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) | - | - |
| मूल ईपीएस का परिकलन करने के लिए डिनोमीटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 50,000 | 50,000 |
| मूल एवं कम की गई आय प्रति शेयर | - | - |
| कंपनी द्वारा जारी किए गए कोई कम होने वाले दस्तावेज नहीं हैं। | | |

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

19 वित्तीय दस्तावेज

(1) पूंजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि वह तमिलनाडु राज्य में 4000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के उद्देश्य से टिप्पणा 1 में उल्लिखित अपने उद्देश्यों से संबंधित भूमि के अधिग्रहण एवं खर्चों से संबंधित पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो।

यह कंपनी किसी बाहरी रूप से लगाई गई पूंजीगत आवश्यकताओं के अधिधीन नहीं है।

कंपनी का बोर्ड आवश्यकता के आधार पर पूंजीगत संरचना की समीक्षा करता है। वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति उधार एवं पूंजी के सम्मिश्रण के माध्यम से की जाती है। कंपनी की नीति अनुमानित वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घावधिक उधारों का प्रयोग करने की है।

(i) वित्तीय दस्तावेजों की श्रेणियां

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| परिशोधित लागत पर रिकार्ड की गई वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| नकदी एवं बैंक शेष | 130.54 | 137.03 | 143.52 |
| ऋण | 13,83,412.68 | 13,83,412.68 | 12,77,559.76 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 |
| वित्तीय देयताएं | | | |
| उधार | 1,53,01,062.39 | 1,39,32,997.32 | 1,20,34,174.99 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 90,30,858.10 | 83,62,490.36 | 84,23,961.28 |

(ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

कंपनी का प्रबंधन जोखिमों की मात्रा द्वारा प्रकट स्थितियों का विश्लेषण कर कंपनी के प्रचालनों से संबंधित वित्तीय जोखिमों की मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज जोखिम और अन्य कीमत जोखिम सहित), ऋण जोखिम और परिसमापन जोखिम शामिल हैं।

(iii) बाजार जोखिम

कंपनी के क्रियाकलाप मुख्य रूप से ब्याज दरों में परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों में आते हैं।

बाजार जोखिम निष्पादनों को संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रयोग करके मापा जाता है।

कंपनी के बाजार जोखिमों के निष्पादन में अथवा जिस तरीके से इन जोखिमों का प्रबंधन एवं मापन किया जा रहा है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(iv) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपना का विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन नहीं है।

(v) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी का ब्याज दर जोखिम होता है क्योंकि वह समय-समय पर निर्धारित (कम ज्यादा होने वाली ब्याज दर) के अनुसार राज्य क्षेत्र के उधारों (श्रेणी 'क') की श्रेणी के तहत ब्याज दर पर निधियां उधार लेती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर ब्याज दरों में कंपनी की स्थिति इस टिप्पणी के परिसमापन जोखिम प्रबंधन भाग में दी गई है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दोनों वित्तीय दस्तावेजों के लिए ब्याज दर की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया है। चल रही दर देयताओं के लिए विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया देयता की राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। 50 आधार अंक की वृद्धि और कमी का प्रयोग उस समय किया जाता है जब ब्याज दर जोखिम आंतरिक रूप से प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को रिपोर्ट किया जाए और ब्याज दरों में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन का प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाए।

ब्याज में 50 आधार अंक उतार चढ़ाव के लिए और अन्य सभी परिवर्तकों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण स्थिर माने गए थे जो नीचे दर्शाए गए हैं:

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| लाभ अथवा हानि के लिए प्रभाव | - | - |
| अन्य व्यापक आय के लिए प्रभाव | - | - |

(vi) अन्य कीमत जोखिम

कंपनी का कोई कीमत जोखिम नहीं है क्योंकि यह कोई निवेश नहीं रखती।

(vii) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जो प्रति पक्षकार अपने संविदागत दायित्वों में चूक करे जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानी होती है।

कंपनी का टिप्पणी संख्या 6 में उल्लिखितानुसार पीएफसी से प्राप्य ऋण शेष के कारण ऋण जोखिम में सीमित निष्पादन है। कंपनी का कोई व्यापार प्राप्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राप्य ऋण उसकी धारक कंपनी (पीएफसी) से है।

कंपनी का बैंक शेष एक प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय बैंकिंग संस्था के पास रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रति पक्षकारों से सीमित ऋण जोखिम होता है।

(viii) परिसमापन जोखिम प्रबंधन

कंपनी पर्याप्त रिजर्व रखकर और निरंतर पूर्वानुमान और वास्तविक नकद प्रवाहों की मॉनीटरिंग कर तथा वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाकर परिसमापन जोखिम का प्रबंधन करती है।

31 मार्च, 2019 को वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में निम्नलिखित तालिका में ब्यौरे दिए गए हैं:

(₹ सौ में)

| विवरण | वहन राशि | प्रथम वर्ष में देय | 2-5 वर्ष में देय | 5 वर्ष से अधिक में देय | अनिर्धारित देय तिथि | कुल संविदागत नकद प्रवाह |
|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| उधार | 1,53,01,062.39 | - | - | - | 1,53,01,062.39 | 1,53,01,062.39 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 90,30,858.10 | 6,73,420.73 | - | - | 83,57,437.37 | 90,30,858.10 |

31 मार्च, 2018 को अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में निम्नलिखित तालिका में ब्यौरे दिए गए हैं:

(₹ सौ में)

| विवरण | वहन राशि | प्रथम वर्ष में देय | 2-5 वर्ष में देय | 5 वर्ष से अधिक में देय | अनिर्धारित देय तिथि | कुल संविदागत नकद प्रवाह |
|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| उधार | 1,39,32,997.32 | - | - | - | 1,39,32,997.32 | 1,39,32,997.32 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 83,62,490.36 | 5,052.99 | - | - | 83,57,437.37 | 83,62,490.36 |

01 अप्रैल, 2017 को अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में निम्नलिखित तालिका में ब्यौरे दिए गए हैं:

(₹ सौ में)

| विवरण | वहन राशि | प्रथम वर्ष में देय | 2-5 वर्ष में देय | 5 वर्ष से अधिक में देय | अनिर्धारित देय तिथि | कुल संविदागत नकद प्रवाह |
|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| उधार | 1,20,34,174.99 | - | - | - | 1,20,34,174.99 | 1,20,34,174.99 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 84,23,961.28 | 66,523.91 | - | - | 83,57,437.37 | 84,23,961.28 |

31 मार्च, 2019 को अनुमानित ब्याज प्राप्तियों सहित वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में निम्नलिखित तालिका में ब्यौरे दिए गए हैं:

(₹ सौ में)

| विवरण | वहन राशि | प्रथम वर्ष में देय | 2-5 वर्ष में देय | 5 वर्ष से अधिक में देय | अनिर्धारित देय तिथि | कुल संविदागत नकद प्रवाह |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| ऋण | | | | | | |
| ऋण | - | - | - | - | - | - |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 10,64,988.23 | - | - | - | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 |

31 मार्च, 2018 को अनुमानित ब्याज प्राप्तियों सहित वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में निम्नलिखित तालिका में ब्यौरे दिए गए हैं:

(₹ सौ में)

| विवरण | वहन राशि | प्रथम वर्ष में देय | 2-5 वर्ष में देय | 5 वर्ष से अधिक में देय | अनिर्धारित देय तिथि | कुल संविदागत नकद प्रवाह |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| ऋण | | | | | | |
| ऋण | - | - | - | - | - | - |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 10,64,988.23 | - | - | - | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 |

01 अप्रैल, 2017 को अनुमानित ब्याज प्राप्तियों सहित वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वताओं के संबंध में निम्नलिखित तालिका में ब्यौरे दिए गए हैं:

(₹ सौ में)

| विवरण | वहन राशि | प्रथम वर्ष में देय | 2-5 वर्ष में देय | 5 वर्ष से अधिक में देय | अनिर्धारित देय तिथि | कुल संविदागत नकद प्रवाह |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| ऋण | - | - | - | - | - | - |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 10,64,988.23 | - | - | - | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 |

(ix) वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का अंकित मूल्य :

(₹ सौ में)

| विवरण | अंकित मूल्य अनुक्रम | 31 मार्च, 2019 को | | 31 मार्च, 2018 को | | 01 अप्रैल, 2017 को | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | वहन राशि | अंकित मूल्य | वहन राशि | अंकित मूल्य | वहन राशि | अंकित मूल्य |
| वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | | | |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य | स्तर 3 | 130.54 | 130.54 | 137.03 | 137.03 | 143.52 | 143.52 |
| ऋण | स्तर 3 | 13,83,412.68 | 13,83,412.68 | 13,83,412.68 | 13,83,412.68 | 12,77,559.76 | 12,77,559.76 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | स्तर 3 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 |
| वित्तीय देयताएं | | | | | | | |
| उधार | स्तर 3 | 1,53,01,062.39 | 1,53,01,062.39 | 1,39,32,997.32 | 1,39,32,997.32 | 1,20,34,174.99 | 1,20,34,174.99 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | स्तर 3 | 90,30,858.10 | 90,30,858.10 | 83,62,490.36 | 83,62,490.36 | 84,23,961.28 | 84,23,961.28 |

शेष वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में मानी गई वहन राशि के लगभग है। वर्ष में स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई अंतरण नहीं था। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं और वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि उनके उचित मूल्य पर उपयुक्त अनुमान में है क्योंकि कंपनी यह अनुमान नहीं लगाती कि वहन मूल्य उन मूल्यों से काफी भिन्न होगा जो प्राप्त किए जाएंगे अथवा निपटान किया जाएगा।

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

20 संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देनों का विवरण

20.1 संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का विवरण:

| क्रम सं. | संबद्ध पक्षकार का नाम | संबंध की प्रकृति |
|----------|--|--------------------------------|
| 1 | पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड | धारक कंपनी |
| 2 | पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 3 | छत्तीसगढ़ सुरगुजा पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 4 | कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 5 | कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 6 | ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 7 | कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 8 | घोपरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 9 | तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 10 | सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 11 | बिहार मेगा पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 12 | देवघर मेगा पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 13 | ओडिशा इंध्र पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 14 | देवघर इंध्र लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 15 | बिहार इंध्र पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 16 | झारखंड इंध्र पावर लिमिटेड | साथी सहायक कंपनी |
| 17 | बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 18 | टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 19 | मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 20 | साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 21 | शौंगटोंग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 22 | बीजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 23 | वापी-॥ नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लि. | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 24 | लकाड़िया-वड़ोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 25 | भुज-॥ ट्रांसमिशन लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 26 | फतेहगढ़-॥ ट्रांसको लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |
| 27 | बीकानेर-खेतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड | सामान्य नियंत्रण के अधीन उद्यम |

कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक धारक कंपनी (पीएफसी) के कर्मचारी हैं और निम्नलिखित रूप में अंशकालिक आधार पर तैनात हैं:

| क्रम संख्या | नाम | पदनाम | नियुक्ति की तिथि | समाप्ति की तारीख |
|-------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | श्री एन. बी. गुप्ता | अध्यक्ष | 16.10.2017 | जारी |
| 2 | श्री योगेश जुनेजा | निदेशक | 31.12.2009 | जारी |
| 3 | श्री सुबीर मूलचंदानी | निदेशक | 28.09.2016 | जारी |
| 4 | श्री आलोक सूद | निदेशक | 22.03.2016 | जारी |
| 5 | श्री के. विजयनंद* | नामिती निदेशक | 19.08.2009 | 10.04.2018 |
| 6 | श्री टी. एच. एम. कुमार* | निदेशक | 11.05.2015 | 04.12.2018 |
| 7 | श्रीमती एच. के. भारती* | नामिती निदेशक | 04.12.2018 | जारी |
| 8 | श्रीमती एस. गीता* | नामिती निदेशक | 19.05.2017 | जारी |
| 9 | श्री पी. सी. हेम्बराम | निदेशक | 16.10.2017 | जारी |

* विद्युत खरीद करने वाले राज्यों से
20.2 लेन-देनों का ब्यौरा:

20.2.1 संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन:

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| पावर फाइनेंस कारपोरेशन, धारक कंपनी | | |
| ब्याज व्यय | 8,65,999.90 | 6,53,615.44 |
| प्राप्त ऋण (निवल) | 55,732.56 | 8,25,806.90 |
| पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, साथी सहायक कंपनी | | |
| जनशक्ति प्रभार | 5,11,186.11 | 3,97,394.45 |
| ब्याज व्यय | 8,823.00 | - |
| व्यय की प्रतिपूर्ति | 1,68,000.13 | 2,21,928.14 |

20.2.2 संबद्ध पक्षकारों के पास बकाया शेष:

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| पावर फाइनेंस कारपोरेशन, धारक कंपनी | | | |
| उधार (गैर चालू) | 45,92,030.72 | 45,36,298.15 | 37,10,491.25 |
| देय/बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | 24,08,052.71 | 15,42,052.81 | 8,88,437.37 |
| प्राप्य/बीमांकिक ब्याज परंतु उधार नहीं | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 |
| पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, साथी सहायक कंपनी | | | |
| देय व्यय | 6,68,367.74 | - | - |

20.3 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की प्रतिपूर्ति:

कंपनी में कर्मचारी धारक कर्मचारी (पीएफसी) के साथ किए गए करार के अनुसार संविदागत शर्तों पर हैं। निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया गया है।

20.4 कंपनी के लिए सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। पीएफसीसीएल कर्मचारियों के रुपये 5,11,186.11 सौ (पूर्व वर्ष रुपये 3,97,394.45 सौ) के कार्मिक प्रभार पीएफसीसीएल द्वारा कंपनी लागत के आधार/दर पर लगाए जाते हैं, जैसा कि पीएफसीसीएल द्वारा दिए गए बीजक के अनुसार कंपनी के लिए कर्मचारियों द्वारा खर्च किए गए वास्तविक मानव दिवसों के अनुपात में पीएफसीसीएल द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसमें श्री आर. रहमान (निदेशक) के रुपये शून्य (पूर्व वर्ष में रुपये 1,459.29 सौ), श्री पी. सी. हेम्बराम (निदेशक) के रुपये 49,585.65 सौ (पूर्व वर्ष में रुपये 34,255.27 सौ), श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) के रुपये 20,938.53 सौ (पूर्व वर्ष में रुपये 60,495.46 सौ) और श्री सुबीर मूलचंदानी (निदेशक) के रुपये 1,279.63 सौ (पूर्व वर्ष में रुपये 4,684.69 सौ) के प्रभार शामिल हैं।

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
(सीआईएन: यू40102डीएल2007जीओआई157615)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

21. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, कंपनी को विद्युत की खरीद करने वाली यूटिलिटीयों (उत्पादकों) से संबंधित उत्पादकों तथा सफल बोलीदाताओं के साथ विद्युत क्रय करार के माध्यम से परियोजना के पूर्ण होने पर किए जाने वाले विद्युत के निर्धारित कोटे के आबंटन के विरुद्ध उनके अंशदान के रूप में रुपये 40,00,000.00 सौ (पूर्व वर्ष में रुपये 40,00,000.00 सौ) का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त करना होता है। उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम तुलन पत्र में दीर्घावधि उधार के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी का यूएमपीपी के विकास के संबंध में विद्युत मंत्रालय की बैठक के कार्यवृत्त के पैरा संख्या 12 के मद्देनजर ऐसे अग्रिमों पर ब्याज देने का कोई दायित्व नहीं है जिसमें यह उल्लेख है कि "उत्पादक एसपीवी में इक्विटी के रूप में अस्थायी रूप से लगाने के लिए प्रतिबद्धता अग्रिम देंगे ताकि वह इन निधियों को उधार लेने के लिए लगा सकें।" तथापि, एक विवेकपूर्ण लेखांकन नीति के रूप में और कंपनी/धारक कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज दे दिया गया है। बीमांकिक ब्याज सहित उपर्युक्त प्रतिबद्धता अग्रिम वित्तपोषण करार की शर्तों के अनुसार धारक कंपनी द्वारा उसके सफल बोलीदाता को कंपनी के अंतरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर उत्पादकों को देय होगा।
22. पीएफसी लिमिटेड के साथ वित्तपोषण करार के अनुसरण में, उत्पादकों से प्राप्त रुपये 40,00,000.00 सौ (पूर्व वर्ष में रुपये 40,00,000.00 सौ) का कुल प्रतिबद्धता अग्रिम कंपनी की ओर से परियोजना के लिए व्यय का भुगतान करने और अल्पकालिक ऋणों के रूप में प्रतिबद्धता अग्रिम के शेष अनुपयुक्त भाग का निवेश करने तथा रखने के लिए धारक कंपनी (पीएफसी लि.) में रखा जाता है और अग्रिम तथा उस पर ब्याज तुलन पत्र में अन्य चालू परिसंपत्तियों के शीर्ष के तहत दर्शाया गया है। तथापि, तुलन पत्र की तारीख को पीएफसी लि. और कंपनी के बीच वित्तपोषण करार के अनुसरण में उस प्रतिबद्धता अग्रिम की कोई अनुपयुक्त राशि नहीं छूटी है। उत्पादकों से प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग के बाद पीएफसी लिमिटेड ने अपनी निधियों से खर्च किया है तथा वित्तपोषण करार के अनुसार खर्च की गई वह राशि अल्पकालिक उधार के रूप में दर्शाई गई है।
23. कंपनी उनकी निधियों से कंपनी की ओर से उनके द्वारा किए गए खर्चों पर पीएफसी लि. को और धारक कंपनी/कंपनी की नीति के अनुसार दरों पर परियोजना के लिए उपयुक्त राशि और अनुपयुक्त राशि में विभाजित कर प्रतिबद्धता अग्रिम पर उत्पादकों को ब्याज देती है। निधियों की अनुपयुक्त राशि पर लगाए गए/दिए गए ब्याज की दर पीएफसी लि. के अनुसार अर्थात् उनके परिपत्र के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार राज्य क्षेत्र के उधार (श्रेणी 'क') श्रेणी के तहत उधारों के लिए परियोजना ऋण/योजनाओं (उत्पादन) के लिए ब्याज की दर पर है और निधियों के अनुपयुक्त भाग पर प्राप्त/दिया गया ब्याज "पीएफसी लि. की मासिक औसत अल्पकालिक जमा दर" पर है। उपयुक्त भाग पर रुपये 13,49,644.37 सौ (पूर्व वर्ष में रुपये 11,19,615.43 सौ) की राशि का ब्याज व्यय है और उसे पूंजीकृत किया गया है।
24. परियोजना की स्थापना की योजना के अनुसार परियोजना का पता लगाने और आरंभिक विकास कार्य के लिए कंपनी द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय, लगाई गई निधियों पर ब्याज तथा रुपये 50,00,00,000 सौ के व्यावसायिक शुल्क तथा लागू करों सहित, उसकी धारक कंपनी से कंपनी की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारिता की खरीद के लिए अधिग्रहण कीमत के रूप में परियोजना के सफल बोलीदाता से वसूल किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप उसकी सभी परिसंपत्तियां (कोयला ब्लॉक लाइसेंस, कोयला ब्लॉक भूमि (ली जाने वाली), विद्युत प्रणाली और एकीकृत ईंधन प्रणाली के निर्माण, प्रचालन और रख रखाव के लिए कॉरीडोरों हेतु कैप्टिव पोर्ट एवं भूमि सहित विद्युत संयंत्र भूमि को छोड़कर), देयताओं और इक्विटी शेयरों को समान रूप से उस बोलीदाता को अंतरित किया जाएगा। कोयला ब्लॉक लाइसेंस, कोयला ब्लॉक भूमि (ली जाने वाली), विद्युत प्रणाली और बुक की गई एकीकृत ईंधन प्रणाली के निर्माण, प्रचालन और रख रखाव के लिए कॉरीडोरों हेतु कैप्टिव पतन और भूमि सहित विद्युत संयंत्र भूमि कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड (सीटीएनपीएल) में बुक की जानी है और उन्हें इफ्रा कंपनी अर्थात् चेर्यूर इफ्रा लिमिटेड (सीआईएल) को अंतरित किया जाएगा जो कि इन परिसंपत्तियों को रखने के लिए विशेष रूप से निर्गमित कंपनी है। इन परिसंपत्तियों को सीटीएनपीएल से सीआईएल में अंतरित करने के लिए राशि समय-समय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
25. कंपनी पीएफसीसीएल द्वारा दी गई सलाहकार एवं व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क के निमित्त पीएफसीसीएल को रुपये 50,00,000.00 सौ तथा लागू करों की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है। सलाहकारी एवं व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क पीएफसीसीएल को केवल तभी देय है जब परियोजना के लिए सफल बोलीदाता का चयन हो जाए और कंपनी सफल बोलीदाता को अंतरित हो जाए। अतः पीएफसीसीएल को देय शुल्क के लिए किसी देयता का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वह कंपनी के अंतरण की स्थिति में ही सफल बोलीदाता को कंपनी के अंतरण के वर्ष में देय होगी।

26. परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तमिलनाडु लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक्ट 1997 (तमिलनाडु एक्ट 10 ऑफ 1999) के अनुसार किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण का कार्य चेर्यूर तालुक में चार जिलों और पनायुर राजस्व गांव में कैप्टिव पोर्ट में स्थित विद्युत केंद्र के लिए चल रहा है। भूमि के लिए वर्तमान स्थिति निम्नलिखितानुसार है:

| क्रम सं. | विवरण | अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि | जमा की गई कुल राशि | वर्तमान स्थिति |
|----------|-------------|---------------------------------|--|---|
| 1 | सरकारी भूमि | 515.35 एकड़ | पशुपालन भूमि एवं मतस्य पालन विभाग भूमि के लिए 9.47 करोड़ रुपये दिए गए। | मुख्य भूमि, ऐश डाइक और कैप्टिव पोर्ट के लिए अधिग्रहीत की जा रही 488.24 एकड़ सरकारी भूमि में से 484.56 एकड़ सरकारी भूमि (24.29 एकड़ वन भूमि सहित) के एलाइनेशन के लिए सरकारी आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। कॉरीडोरों के लिए अधिग्रहीत की जा रही 27.10 एकड़ सरकारी भूमि में से 17.67 एकड़ भूमि के एलाइनेशन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके लिए कन्वेंस डीड/पट्टा अभी जारी और पूंजीकृत किया जाना है। अभी भूमि एवं राजस्व विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा कई औपचारिकताएं की जानी हैं तथा पूरी की जानी हैं। अतः जमा की गई राशि पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाई गई है, न कि भूमि के रूप में पूंजीकृत। |
| 2 | निजी भूमि | 757.02 एकड़ | 83.57 करोड़ रुपये जिला राजस्व कार्यालय (एलए) में जमा किए गए। | 1. सीटीएनपीएल द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया और अधिग्रहण राशि को चुनौती देने के लिए भू स्वामियों द्वारा दायर मुकदमों के लिए 15.53 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, यह मामला अभी न्यायाधीन है। तथापि, 623 एकड़ निजी भूमि से संबंधित पट्टा अंतरित कर दिया गया है। 2. 623 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए जिला राजस्व कार्यालय (एलए) को 83.57 करोड़ रुपये दे दिए गए थे जिसके लिए चेर्यूर तहसीलदार द्वारा परियोजना प्रभारी, सीटीएनपीएल को पट्टा अंतरित कर दिया गया है। तदनुसार, 83.57 करोड़ रुपये की भूमि वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूंजीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, कॉरीडोर के लिए शेष 134.02 एकड़ भूमि के लिए अभी मांग की जानी है। |

27. समुद्री जल के प्रयोग के लिए "सिद्धांत रूप में" मंजूरी तमिलनाडु सामुद्रिक बोर्ड से प्राप्त हो गई है। जल के प्रयोग के निमित्त लागत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अभी दर्शाई नहीं गई है।
28. कैप्टिव पोर्ट और मुख्य संयंत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी को अलग करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), चेन्नई में चार याचिकाएं दायर की गई थीं। एनजीटी ने 26.11.2018 को अपनी अंतिम सुनवाई में सभी अपीलों और मूल आवेदन पत्र का निपटान कर दिया है क्योंकि वह कोयले के स्रोत में आयातित से घरेलू में परिवर्तन के मद्देनजर निष्फल था और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे इस पर विचार करें कि क्या ईआईए अधिसूचना में सभी स्तरों का पालन करना आवश्यक होगा।
29. टिप्पणी 16 के रूप में दर्शाए गए व्यय मुख्य रूप से पीएफसीसीएल द्वारा एसपीवी को आबंटित हैं। एसपीवी से संबंधित सीधे व्यय 100 प्रतिशत आधार पर आबंटित किए जाते हैं और सामान्य व्यय विभिन्न एसपीवी के बीच सेवाएं बांटने के आधार पर आबंटित किये जाते हैं। पीएफसीसीएल द्वारा किए गए इस व्यय के संबंध में मूल समर्थक बिल पीएफसीसीएल के नाम पर हैं और उनके द्वारा रखे गए हैं जिनके प्रतियां कंपनी में उपलब्ध हैं। पीएफसीसीएल इन व्ययों पर यथा लागू सेवा कर/जीएसटी तथा स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रही है।
30. पूंजीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित सभी व्ययों से युक्त निर्माण अवधि के दौरान व्यय (टिप्पणी 16) तैयार किए गए हैं और उन्हें चल रहे पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है।
31. **कर्मचारी लाभ योजनाएं** चूंकि कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है, अतः इंड एस - 19 के अनुसार दायित्व नहीं बनता।

32. प्रतिबद्धताएं:

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| (क) पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल): अन्य प्रतिबद्धताएं | 52,545.81 - | 52,545.81 - | 52,545.81 - |

ii) कॉरीडोरों के लिए भूमि की लागत अतिरिक्त रूप से ली जाएगी जो इस समय निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि प्रक्रिया आरंभिक स्तर पर है।

iii) भूमि के अधिग्रहण की तारीख से भुगतान की तारीख तक भू स्वामी को भूमि अधिग्रहण की लागत संबंधी देय ब्याज। यह राशि निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा अभी भुगतान किया जाना है।

33. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| कंपनी की आकस्मिक देयताएं और जिन दावों को इस अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, इसके अतिरिक्त, कंपनी में कोई आकस्मिक परिसंपत्तियां और आकस्मिक लाभ संभव नहीं हैं। | - | - | - |

34. कंपनी के पास उपलब्ध के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एमएसएमईडी अधिनियम") के तहत लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की ओर देयों का विवरण:

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| (क) लेखांकन अवधि के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता पर मूल राशि तथा उस पर देय शेष अप्रदत्त ब्याज | - | - | - |
| (ख) लेखांकन अवधि के दौरान नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा दिए गए ब्याज की राशि | - | - | - |
| (ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए बकाया तथा देय ब्याज की राशि (जो दे दी गई है परंतु अवधि के दौरान नियत तारीख के बाद) परंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज को जोड़े बिना | - | - | - |
| (घ) लेखांकन अवधि के अंत में बीमांकिक ब्याज तथा शेष अप्रदत्त की राशि | - | - | - |
| (ङ) परवर्ती वर्षों में भी बकाया शेष और भुगतान योग्य राशि, उस तारीख तक जब एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत घटाए जाने योग्य व्यय की अनुमति न दिए जाने के प्रयोजन के लिए लघु उद्यमों को वास्तव में उपर्युक्त बकाया ब्याज का भुगतान किया गया है। | - | - | - |

35. लेखा परीक्षक पारिश्रमिक

(₹ सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| सांविधिक लेखा परीक्षा * | 1,150.50 | 1,150.50 |
| कुल | 1,150.50 | 1,150.50 |

* जीएसटी सहित

36. कार्यक्षेत्र सूचना

कंपनी का निदेशक बोर्ड, जिसे मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) होने के रूप में अभिज्ञात किया गया है, कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है, कंपनी के विभिन्न निष्पादक संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधन आबंटित करता है। कंपनी का निगमन मुख्य रूप से कोयला ब्लॉक लाइसेंस, कोयला ब्लॉक भूमि, विद्युत संयंत्र भूमि और भूमि आदि धारण करने के उद्देश्य से किया गया है और वर्तमान में केवल उसी क्रियाकलाप में लगी हुई है तथा कंपनी के सभी क्रियाकलाप एक यूनिट के रूप में इस मुख्य व्यापार के आसपास ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भौगोलिक कार्यक्षेत्र नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत में हैं। अतः इंड एस 108 "प्रचालन कार्यक्षेत्र" की आवश्यकता के अनुसार कंपनी के लिए अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई कार्यक्षेत्र नहीं है।

37. पूर्व में परियोजना के लिए शुरू की गई बोली प्रक्रिया विद्युत मंत्रालय के 29.12.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/4/2013-यूएमपीपी के निर्देशों के अनुसार रद्द की गई थी। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने मानक बोली दस्तावेजों में संशोधन के लिए प्रक्रिया पुनः शुरू की और 03.12.2015 को हुई अंतिम बैठक में विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित आयातित कोयला आधारित यूएमपीपी के लिए बोली दस्तावेजों का प्रारूप 29.12.2015 को टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। एसबीडी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रूप दिए जाने पर बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके बाद बोली प्रक्रिया पूरी होने पर और विद्युत मंत्रालय से अनुमोदन होने पर उसकी सभी परिसंपत्तियां (उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 24 में दी गई को छोड़कर) और देयताएं तथा कंपनी के इक्विटी शेयर चुने गए बोलीदाता को समान रूप से अंतरित कर दिए जाएंगे।

38. अन्य अन्याय प्रकटन:

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय - शून्य

(ख) विदेशी विनिमय में आय - शून्य

39. इंड एस में पारगमन की तारीख को, कंपनी ने पूर्व जीएएपी के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी का वहन मूल्य इंड एस 101 के अनुसार मानी गई लागत के रूप में माना है।

40. कंपनी ने पूर्व लागू जीएएपी की अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक अपने वित्तीय विवरण तैयार किए जिनमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानक (एस) शामिल हैं। वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधि के आंकड़े उन्हीं लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जिनका कंपनी के प्रथम इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयोग किया गया है।

41. प्रथम बार इंड एस अपनाने पर पुनर्समाधान: -

41.1 31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में इंड एस अपनाने का प्रभाव:

(₹ सौ में)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2017 | | | 31 मार्च, 2018 | | |
|---------------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|---------|----------------|
| | पूर्व जीएएपी | समायोजन | इंड एस | पूर्व जीएएपी | समायोजन | इंड एस |
| परिसंपत्तियां | | | | | | |
| गैर-चालू परिसंपत्तियां | | | | | | |
| (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर | 83,60,016.48 | - | 83,60,016.48 | 83,59,723.00 | - | 83,59,723.00 |
| (ख) चल रहे पूंजीगत कार्य | 98,09,202.04 | (68.06) | 98,09,133.98 | 1,15,49,522.47 | - | 1,15,49,522.47 |
| (ग) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | | |
| (i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 10,64,988.23 | - | 10,64,988.23 | 10,64,988.23 | - | 10,64,988.23 |
| (घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां | 12,77,559.76 | - | 12,77,559.76 | 13,83,412.68 | - | 13,83,412.68 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां | 2,05,11,766.51 | (68.06) | 2,05,11,698.45 | 2,23,57,646.37 | - | 2,23,57,646.37 |
| चालू परिसंपत्तियां | | | | | | |
| (क) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | | |
| (i) नकदी एवं नकदी समतुल्य | 143.52 | - | 143.52 | 137.03 | - | 137.03 |
| (ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 1,645.76 | - | 1,645.76 | 1,645.76 | - | 1,645.76 |
| कुल चालू परिसंपत्तियां | 1,789.28 | - | 1,789.28 | 1,782.79 | - | 1,782.79 |
| कुल परिसंपत्तियां | 20,513,555.78 | (68.06) | 20,513,487.72 | 22,359,429.16 | - | 22,359,429.16 |
| इन्विटी एवं देयताएं | | | | | | |
| इन्विटी | | | | | | |
| (क) इन्विटी शेयर पूंजी | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| (ख) अन्य इन्विटी | 3,208.90 | - | 3,208.90 | 3,208.90 | - | 3,208.90 |
| कुल इन्विटी | 8,208.90 | - | 8,208.90 | 8,208.90 | - | 8,208.90 |
| देयताएं | | | | | | |
| गैर - चालू देयताएं | | | | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| (i) उधार | 1,20,34,174.99 | - | 1,20,34,174.99 | 1,39,32,997.32 | - | 1,39,32,997.32 |
| (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 83,57,437.37 | - | 83,57,437.37 | 83,57,437.37 | - | 83,57,437.37 |
| कुल गैर - चालू देयताएं | 2,03,91,612.36 | - | 2,03,91,612.36 | 2,22,90,434.69 | - | 2,22,90,434.69 |
| चालू देयताएं | | | | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| (i) अन्य वित्तीय देयताएं | 66,591.97 | (68.06) | 66,523.91 | 5,052.99 | - | 5,052.99 |
| (ख) अन्य चालू देयताएं | 47,142.55 | - | 47,142.55 | 55,732.58 | - | 55,732.58 |
| कुल चालू देयताएं | 1,13,734.52 | (68.06) | 1,13,666.46 | 60,785.57 | - | 60,785.57 |
| कुल इन्विटी एवं देयताएं | 2,05,13,555.78 | (68.06) | 2,05,13,487.72 | 2,23,59,429.16 | - | 2,23,59,429.16 |

41.2 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण पर इंड एस अपनाने का प्रभाव:

(₹ सौ में)

| विवरण | पूर्व जीएएपी | समायोजन | इंड एस |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------|
| प्रचालनों से राजस्व | - | - | - |
| अन्य आय | - | - | - |
| कुल राजस्व (I) | - | - | - |
| व्यय | | | |
| अन्य व्यय | - | - | - |
| कुल व्यय ((II)) | - | - | - |
| कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II) | - | - | - |
| कर व्यय: | | | |
| (1) चालू कर | - | - | - |
| (2) आस्थगित कर | - | - | - |
| कुल कर व्यय | - | - | - |
| अवधि के लिए लाभ/(हानि) | - | - | - |

41.3 31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार अन्य इन्विटी पर इंड एस अपनाने का प्रभाव:

सौ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2018 को | 01 अप्रैल, 2017 को |
|---|-------------------|--------------------|
| आईजीएपी के तहत सूचित की गई अन्य इन्विटी | 3,208.90 | 3,208.90 |
| लेन-देन की तारीख को इन्विटी में वृद्धि | | |
| इंड एस समायोजन: | | |
| अवधि पूर्व समायोजन | - | - |
| चालू कर | - | - |

| | | |
|--|----------|----------|
| उपर्युक्त समायोजनों पर डीटीए/डीटीएल प्रभाव | - | - |
| कुल इक्विटी पर कुल प्रभाव | - | - |
| इंड एस के तहत सूचित की गई अन्य इक्विटी | 3,208.90 | 3,208.90 |

41.4 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण पर इंड एस अपनाने का प्रभाव:

(₹ सौ में)

| विवरण* | पूर्व जीएपी | समायोजन | इंड एस |
|---|----------------|---------|----------------|
| प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह | (52,880.89) | - | (52,880.89) |
| निवेशात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह | (18,45,947.93) | - | (18,45,947.93) |
| वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी अंतर्प्रवाह | 18,98,822.33 | - | 18,98,822.33 |
| वर्ष के दौरान नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी | (6.49) | - | (6.49) |
| जोड़ें : वित्तीय वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य | 143.52 | - | 143.52 |
| अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य | 137.03 | - | 137.03 |

* आंकड़े वर्ष के दौरान पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

42. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए थे और 21.05.2019 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किए गए थे।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

(पूर्णा चंद्र हेम्बराम)
निदेशक
डीआईएन: 02750881

(आलोक सूद)
निदेशक
डीआईएन: 02394376

(नवीन भूषण गुप्ता)
अध्यक्ष
डीआईएन: 00530741

समान तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
के लिए और की ओर से
राज के. श्री एंड कं.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
(फर्म पंजीकरण सं. : 014141एन)

रोहित वसवानी
(साझीदार)
सदस्यता सं. : 095991
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.05.2019

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | | | |
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 3,456 | 3,352 | 4,708 |
| कुल | 3,456 | 3,352 | 4,708 |
| टुअर एवं यात्रा | | | |
| स्थानीय परिवहन की प्रतिपूर्ति | 4 | 6 | 24 |
| टुअर एवं यात्रा व्यय-कर्मचारी (लॉज) | - | 2,219 | - |
| टुअर एवं यात्रा व्यय-कर्मचारी (अन्य) | - | 1,607 | - |
| टुअर एवं यात्रा व्यय-कर्मचारी - (आरए) | 2 | 6,839 | - |
| यात्रा व्यय परामर्शदाता (हवाई) | 3,120 | 5,690 | - |
| यात्रा व्यय परामर्शदाता (बोर्ड) | 297 | 3,231 | - |
| यात्रा व्यय परामर्शदाता -अन्य | 6 | 1,331 | - |
| टुअर एवं यात्रा व्यय | - | - | 38,279 |
| कुल | 3,428 | 20,924 | 38,303 |
| वाहन संचालन व्यय | | | |
| पट्टा किराया - वाहन | 717 | 349 | 189 |
| वाहन की जनशक्ति | 1,214 | 566 | 462 |
| वाहन किराए पर लेने और उसका संचालन का व्यय | 19,446 | 24,508 | 26,029 |
| कुल | 21,377 | 25,424 | 26,680 |
| दूरभाष व्यय | | | |
| दूरभाष व्यय (परामर्शदाता) | 95 | 176 | 870 |
| दूरभाष व्यय (कर्मचारी) | 4 | - | - |
| दूरभाष व्यय (कार्यालय) | 1,465 | 1,562 | 1,011 |
| कुल | 1,564 | 1,739 | 1,881 |
| विधिक, व्यावसायिक एवं परामर्शी प्रभार | | | |
| विधिक एवं दायर करने के शुल्क | 3,402 | 10,120 | 9,083 |
| व्यावसायिक प्रभार | 689 | 14,648 | 23,027 |
| परामर्शी प्रभार | 40,589 | 28,290 | 53,921 |
| कुल | 44,680 | 53,059 | 86,030 |
| प्रशासनिक व्यय | | | |
| कैंटीन व्यय | 5,276 | 5,135 | 3,539 |
| पट्टा किराया | 978 | 77 | - |
| अन्य कल्याण व्यय (कर्मचारी लागत) | - | 162 | - |
| पुस्तकें एवं पत्रिकाएं | 43 | 39 | 32 |
| बिजली एवं पानी प्रभार | 371 | 580 | 118 |
| डाक एवं कोरियर | 244 | 215 | 261 |
| मानदेय | - | 82 | - |
| बैठक व्यय | 2,095 | 5,361 | 3,900 |
| कार्यालय रख रखाव | 4,493 | 5,890 | 5,363 |
| कार्यालय रख रखाव (कर्मचारी लागत) | 58 | - | - |
| सरकारी मेजबानी | 839 | 365 | 178 |
| सरकारी मेजबानी (कर्मचारी लागत) | - | 10 | - |
| सुरक्षा व्यय | 3,372 | 2,838 | 3,720 |
| प्रशिक्षण व्यय | 931 | 48 | - |
| कार्यालय किराया | 1,530 | 2,404 | 2,835 |
| निकासी टिप्पणी पर कर | - | - | - |
| फोटोग्राफी व्यय | 21 | 13 | - |
| अनुवाद प्रभार | 50 | - | - |
| मरम्मत एवं रख रखाव | - | - | 241 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| विज्ञापन व्यय | - | - | (0) |
| कार्यालय स्थानांतरण व्यय | - | - | - |
| कम्प्यूटर किराए पर लेने का व्यय | 465 | 879 | 984 |
| कुल | 20,764 | 24,098 | 21,171 |

| | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| विविध व्यय | | | |
| विविध व्यय | - | - | - |
| टीडीएस पर ब्याज | - | - | 1 |
| अवधि पूर्व व्यय | - | - | 98 |
| फर्नीचर किराया | 724 | 744 | 773 |
| कुल | 724 | 744 | 872 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| देय व्यय | | | |
| व्यापार देय - अन्य | 1,053 | 1,053 | 62,524 |
| सुरक्षित जमा - विक्रेता | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| पीएफसीसीएल को देय | 6,60,427 | - | - |
| पीएफसीसीएल को देय ब्याज | 7,940 | - | - |
| कुल | 6,73,421 | 5,053 | 66,524 |

पीएफसीसीएल
बही

परीक्षण शेष

अवधि: मार्च-18/19

मुद्रा: भारतीय रुपये
शेष का प्रकार: वर्ष की दिनांक
बही: पीएफसीसीएल बही
कंपनी: 2005 कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

| लेखा | विवरण | आरंभिक शेष | निकासी | जमा | अंतिम शेष |
|--------|---|-------------|----------|----------|-------------|
| 101101 | कम्प्यूटर एवं ईडीपी उपस्कर | 1,690 | - | - | 1,690 |
| 101102 | फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 2,941 | - | - | 2,941 |
| 101103 | कार्यालय उपस्कर | 143 | - | - | 143 |
| 101104 | इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट | 1,158 | - | - | 1,158 |
| 101106 | भूमि - फ्रीहोल्ड | 83,57,437 | - | - | 83,57,437 |
| 101201 | संचित मूल्य हास - कम्प्यूटर एवं ईडीपी उपस्कर | (1,592) | - | 11 | (1,603) |
| 101202 | संचित मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स | (1,123) | - | 471 | (1,593) |
| 101203 | संचित मूल्यहास - कार्यालय उपस्कर | (263) | - | - | (263) |
| 101204 | संचित मूल्यहास - इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट | (670) | - | 94 | (763) |
| 101301 | परिसंपत्तियों की स्वीकृति | - | 129 | 129 | - |
| 101401 | भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय | 11,80,941 | - | - | 11,80,941 |
| 101402 | भूमि के लिए पूंजीगत अग्रिम | 1,46,794 | 171 | 171 | 1,46,794 |
| 101403 | चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) अन्य | 1,03,68,581 | - | - | 1,03,68,581 |
| 102301 | भूमि के लिए जमा | 9,48,038 | - | - | 9,48,038 |
| 104111 | पीएफसी से वसूली योग्य | - | 3,677 | 3,677 | - |
| 104130 | विक्रेताओं को अग्रिम | 2,88,580 | - | - | 2,88,580 |
| 104272 | आय कर प्रतिदाय | 1,539 | - | - | 1,539 |
| 104503 | सुरक्षा जमा - अन्य | 107 | - | - | 107 |
| 106207 | एसबीआई-30118623634 | 137 | - | 6 | 131 |
| 107233 | पीएफसी से प्राप्त योग्य ब्याज | 10,64,988 | - | - | 10,64,988 |
| 201151 | लाभ एवं हानि | (3,209) | - | - | (3,209) |
| 201201 | इन्विटी शेयर पूंजी | (5,000) | - | - | (5,000) |
| 202201 | प्रतिबद्धता अग्रिम | (40,00,000) | - | - | (40,00,000) |
| 202202 | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि | (83,57,437) | - | - | (83,57,437) |
| 204105 | व्यापार देय- अन्य | (1,053) | 2,204 | 2,204 | (1,053) |
| 204152 | पीएफसी को देय | (45,36,298) | 6,43,597 | 6,99,330 | (45,92,031) |
| 204153 | पीएफसीसीएल को देय | - | 349 | 6,60,776 | (6,60,427) |
| 205153 | सुरक्षा जमा - विक्रेता | (4,000) | - | - | (4,000) |
| 205406 | 194 जे के तहत टीडीएस/कंपनी | (9,133) | 34,311 | 45,087 | (19,909) |
| 205407 | 194 जे के तहत टीडीएस/गैर कंपनी | - | 98 | 98 | - |
| 205410 | 194 ए के तहत टीडीएस/कंपनी | (46,600) | 46,600 | 29,372 | (29,372) |
| 206102 | पीएफसी को देय ब्याज | (15,42,053) | - | 8,66,000 | (24,08,053) |
| 206103 | खरीददारों को देय ब्याज | (38,54,646) | - | 4,46,333 | (43,00,979) |
| 206104 | पीएफसीसीएल को देय ब्याज | - | - | 7,940 | (7,940) |
| 400101 | परामर्श व्यय | - | 47,412 | 6,823 | 40,589 |
| 400215 | कार्यालय रख रखाव (कर्मचारी लागत) | - | 60 | 2 | 58 |
| 400305 | कैटीन व्यय | - | 9,116 | 3,840 | 5,276 |
| 400306 | पट्टा किराया | - | 1,016 | 38 | 978 |
| 401101 | मूल्यहास - कम्प्यूटर एवं ईडीपी उपस्कर | - | 11 | - | 11 |

| | | | | | |
|--------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 401102 | मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स | - | 471 | - | 471 |
| 401104 | मूल्यहास - लीजहोल्ड सुधार | - | 94 | - | 94 |
| 402151 | लेखा परीक्षा शुल्क | - | 1,151 | - | 1,151 |
| 402201 | जनशक्ति प्रभार | - | 5,41,902 | 30,716 | 5,11,186 |
| 402401 | प्रयुक्त हिस्से पर ब्याज व्यय | - | 13,49,644 | - | 13,49,644 |
| 404101 | दूरभाष व्यय (परामर्शदाता) | - | 103 | 8 | 95 |
| 404102 | दूरभाष व्यय (कर्मचारी) | - | 5 | 0 | 4 |
| 404103 | दूरभाष व्यय (कार्यालय) | - | 1,712 | 247 | 1,465 |
| 404111 | स्थानीय परिवहन प्रतिपूर्ति | - | 4 | 0 | 4 |
| 404114 | टुअर एवं यात्रा व्यय - कर्मचारी - (रेल व हवाई) | - | 1,277 | 1,275 | 2 |
| 404115 | यात्रा व्यय परामर्शदाता (हवाई व रेल) | - | 3,533 | 413 | 3,120 |
| 404116 | यात्रा व्यय परामर्शदाता (भोजन तथा आवास) | - | 309 | 12 | 297 |
| 404117 | यात्रा व्यय परामर्शदाता - अन्य | - | 6 | 0 | 6 |
| 404153 | पुस्तकें एवं पत्रिकाएं | - | 48 | 6 | 43 |
| 404155 | बिजली एवं पानी प्रभार | - | 376 | 6 | 371 |
| 404156 | फोटोग्राफी व्यय | - | 22 | 1 | 21 |
| 404159 | अनुवाद | - | 94 | 44 | 50 |
| 404251 | पट्टा किराया - वाहन | - | 775 | 58 | 717 |
| 404252 | विधिक एवं दायर करने के शुल्क | - | 3,534 | 131 | 3,402 |
| 404253 | वाहन के लिए जनशक्ति | - | 1,513 | 299 | 1,214 |
| 404254 | बैठक व्यय | - | 2,202 | 107 | 2,095 |
| 404321 | कार्यालय रख रखाव | - | 5,061 | 567 | 4,493 |
| 404322 | कार्यालय किराया | - | 2,264 | 733 | 1,530 |
| 404324 | सरकारी मेजबानी | - | 856 | 17 | 839 |
| 404352 | डाक एवं कोरियर | - | 256 | 12 | 244 |
| 404353 | मुद्रण एवं लेखन सामग्री | - | 4,178 | 722 | 3,456 |
| 404354 | बाहर से साधन लेने का व्यय | - | 75,629 | 3,623 | 72,007 |
| 404355 | कम्प्यूटर किराए पर लेने के प्रभार | - | 535 | 70 | 465 |
| 404356 | फर्नीचर किराया | - | 856 | 132 | 724 |
| 404363 | व्यावसायिक प्रभार | - | 715 | 26 | 689 |
| 404501 | सुरक्षा व्यय | - | 3,491 | 119 | 3,372 |
| 404604 | निकासी टिप्पणी पर व्यय | - | 41,110 | 41,110 | - |
| 404671 | प्रशिक्षण व्यय | - | 1,099 | 168 | 931 |
| 404701 | वाहन किराए पर लेने और संचालन का व्यय | - | 21,253 | 1,806 | 19,446 |
| 406103 | बैंक प्रभार | - | 6 | - | 6 |
| 920407 | टीडीएस की स्वीकृति - 194 जे के तहत/गैर कंपनी | - | 98 | 98 | - |
| | | | | | |
| | | (83,59,723) | 28,54,801 | 28,54,225 | (83,59,147) |

| अंतिम शेष | निकासी | जमा | अंतिम शेष |
|-------------|-----------|----------|-------------|
| 16.90 | - | - | 16.90 |
| 29.41 | - | - | 29.41 |
| 1.43 | - | - | 1.43 |
| 11.58 | - | - | 11.58 |
| 83,574.37 | - | - | 83,574.37 |
| (15.92) | - | 0.11 | (16.03) |
| (11.23) | - | 4.71 | (15.93) |
| (2.63) | - | - | (2.63) |
| (6.70) | - | 0.94 | (7.63) |
| - | 1.29 | 1.29 | - |
| 11,809.41 | - | - | 11,809.41 |
| 1,467.94 | 1.71 | 1.71 | 1,467.94 |
| 1,03,685.81 | - | - | 1,03,685.81 |
| 9,480.38 | - | - | 9,480.38 |
| - | 36.77 | 36.77 | - |
| 2,885.80 | - | - | 2,885.80 |
| 15.39 | - | - | 15.39 |
| 1.07 | - | - | 1.07 |
| 1.37 | - | 0.06 | 1.31 |
| 10,649.88 | - | - | 10,649.88 |
| (32.09) | - | - | (32.09) |
| (50.00) | - | - | (50.00) |
| (40,000.00) | - | - | (40,000.00) |
| (83,574.37) | - | - | (83,574.37) |
| (10.53) | 22.04 | 22.04 | (10.53) |
| (45,362.98) | 6,435.97 | 6,993.30 | (45,920.31) |
| - | 3.49 | 6,607.76 | (6,604.27) |
| (40.00) | - | - | (40.00) |
| (91.33) | 343.11 | 450.87 | (199.09) |
| - | 0.98 | 0.98 | - |
| (466.00) | 466.00 | 293.72 | (293.72) |
| (15,420.53) | - | 8,660.00 | (24,080.53) |
| (38,546.46) | - | 4,463.33 | (43,009.79) |
| - | - | 79.40 | (79.40) |
| - | 474.12 | 68.23 | 405.89 |
| - | 0.60 | 0.02 | 0.58 |
| - | 91.16 | 38.40 | 52.76 |
| - | 10.16 | 0.38 | 9.78 |
| - | 0.11 | - | 0.11 |
| - | 4.71 | - | 4.71 |
| - | 0.94 | - | 0.94 |
| - | 11.51 | - | 11.51 |
| - | 5,419.02 | 307.16 | 5,111.86 |
| - | 13,496.44 | - | 13,496.44 |
| - | 1.03 | 0.08 | 0.95 |
| - | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| - | 17.12 | 2.47 | 14.65 |
| - | 0.04 | 0.00 | 0.04 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| - | 12.77 | 12.75 | 0.02 |
| - | 35.33 | 4.13 | 31.20 |
| - | 3.09 | 0.12 | 2.97 |
| - | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| - | 0.48 | 0.06 | 0.43 |
| - | 3.76 | 0.06 | 3.71 |
| - | 0.22 | 0.01 | 0.21 |
| - | 0.94 | 0.44 | 0.50 |
| - | 7.75 | 0.58 | 7.17 |
| - | 35.34 | 1.31 | 34.02 |
| - | 15.13 | 2.99 | 12.14 |
| - | 22.02 | 1.07 | 20.95 |
| - | 50.61 | 5.67 | 44.93 |
| - | 22.64 | 7.33 | 15.30 |
| - | 8.56 | 0.17 | 8.39 |
| - | 2.56 | 0.12 | 2.44 |
| - | 41.78 | 7.22 | 34.56 |
| - | 756.29 | 36.23 | 720.07 |
| - | 5.35 | 0.70 | 4.65 |
| - | 8.56 | 1.32 | 7.24 |
| - | 7.15 | 0.26 | 6.89 |
| - | 34.91 | 1.19 | 33.72 |
| - | 411.10 | 411.10 | - |
| - | 10.99 | 1.68 | 9.31 |
| - | 212.53 | 18.06 | 194.46 |
| - | 0.06 | - | 0.06 |
| - | 0.98 | 0.98 | - |
| | | | |
| (83,597) | 28,548 | 28,542 | (83,591) |

| | | | | | |
|--------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 101101 | कम्प्यूटर एवं ईडीपी उपस्कर | 1,69,039 | - | - | 1,69,039 |
| 101102 | फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 2,94,094 | - | - | 2,94,094 |
| 101103 | कार्यालय उपस्कर | 14,327 | - | - | 14,327 |
| 101104 | इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट | 1,15,787 | - | - | 1,15,787 |
| 101106 | भूमि - फ्रीहोल्ड | 83,57,43,737 | - | - | 83,57,43,737 |
| 101201 | संचित मूल्य हास - कम्प्यूटर एवं ईडीपी उपस्कर | (1,59,151) | - | 1,146 | (1,60,297) |
| 101202 | संचित मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स | (1,12,266) | - | 47,075 | (1,59,341) |
| 101203 | संचित मूल्यहास - कार्यालय उपस्कर | (26,279) | - | - | (26,279) |
| 101204 | संचित मूल्यहास - इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट | (66,988) | - | 9,354 | (76,342) |
| 101301 | परिसंपत्तियों की स्वीकृति | - | 12,870 | 12,870 | - |
| 101401 | भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय | 11,80,94,125 | - | - | 11,80,94,125 |
| 101402 | भूमि के लिए पूंजीगत अग्रिम | 1,46,79,422 | 17,148 | 17,148 | 1,46,79,422 |
| 101403 | चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) अन्य | 1,03,68,58,121 | - | - | 1,03,68,58,121 |
| 102301 | भूमि के लिए जमा | 9,48,03,846 | - | - | 9,48,03,846 |
| 104111 | पीएफसी से वसूली योग्य | - | 3,67,720 | 3,67,720 | - |
| 104130 | विक्रेताओं को अग्रिम | 2,88,58,000 | - | - | 2,88,58,000 |
| 104272 | आय कर प्रतिदाय | 1,53,926 | - | - | 1,53,926 |
| 104503 | सुरक्षा जमा - अन्य | 10,650 | - | - | 10,650 |
| 106207 | एसबीआई-30118623634 | 13,703 | - | 649 | 13,054 |
| 107233 | पीएफसी से प्राप्त योग्य ब्याज | 10,64,98,823 | - | - | 10,64,98,823 |
| 201151 | लाभ एवं हानि | (3,20,889) | - | - | (3,20,889) |
| 201201 | इक्विटी शेयर पूंजी | (5,00,000) | - | - | (5,00,000) |
| 202201 | प्रतिबद्धता अग्रिम | (40,00,00,000) | - | - | (40,00,00,000) |
| 202202 | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि | (83,57,43,737) | - | - | (83,57,43,737) |
| 204105 | व्यापार देय- अन्य | (1,05,299) | 2,20,350 | 2,20,350 | (1,05,299) |
| 204152 | पीएफसी को देय | (45,36,29,815) | 6,43,60,027 | 6,99,33,284 | (45,92,03,072) |
| 204153 | पीएफसीसीएल को देय | - | 34,898 | 6,60,77,642 | (6,60,42,744) |
| 205153 | सुरक्षा जमा -विक्रेता | (4,00,000) | - | - | (4,00,000) |
| 205406 | 194 जे के तहत टीडीएस/कंपनी | (9,13,258) | 34,31,055 | 45,08,728 | (19,90,931) |
| 205407 | 194 जे के तहत टीडीएस/गैर कंपनी | - | 9,750 | 9,750 | - |
| 205410 | 194 ए के तहत टीडीएस/कंपनी | (46,60,000) | 46,60,000 | 29,37,157 | (29,37,157) |
| 206102 | पीएफसी को देय ब्याज | (15,42,05,281) | - | 8,65,99,990 | (24,08,05,271) |
| 206103 | खरीददारों को देय ब्याज | (38,54,64,636) | - | 4,46,33,260 | (43,00,97,896) |
| 206104 | पीएफसीसीएल को देय ब्याज | - | - | 7,94,030 | (7,94,030) |
| 400101 | परामर्शी व्यय | - | 47,41,242 | 6,82,310 | 40,58,932 |
| 400215 | कार्यालय रख रखाव (कर्मचारी लागत) | - | 5,995 | 225 | 5,770 |
| 400305 | कैंटीन व्यय | - | 9,11,617 | 3,84,048 | 5,27,569 |
| 400306 | पट्टा किराया | - | 1,01,630 | 3,814 | 97,816 |
| 401101 | मूल्यहास - कम्प्यूटर एवं ईडीपी उपस्कर | - | 1,146 | - | 1,146 |
| 401102 | मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स | - | 47,075 | - | 47,075 |
| 401104 | मूल्यहास - लीजहोल्ड सुधार | - | 9,354 | - | 9,354 |
| 402151 | लेखा परीक्षा शुल्क | - | 1,15,050 | - | 1,15,050 |
| 402201 | जनशक्ति प्रभार | - | 5,41,90,188 | 30,71,577 | 5,11,18,611 |
| 402401 | प्रयुक्त हिस्से पर ब्याज व्यय | - | 13,49,64,437 | - | 13,49,64,437 |
| 404101 | दूरभाष व्यय (परामर्शदाता) | - | 10,304 | 817 | 9,487 |
| 404102 | दूरभाष व्यय (कर्मचारी) | - | 463 | 17 | 446 |
| 404103 | दूरभाष व्यय (कार्यालय) | - | 1,71,196 | 24,736 | 1,46,460 |
| 404111 | स्थानीय परिवहन प्रतिपूर्ति | - | 370 | 14 | 356 |
| 404114 | टुअर एवं यात्रा व्यय - कर्मचारी- (रेल व हवाई) | - | 1,27,656 | 1,27,480 | 176 |

| | | | | | |
|--------|--|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 404115 | यात्रा व्यय परामर्शदाता (हवाई व रेल) | - | 3,53,263 | 41,276 | 3,11,987 |
| 404116 | यात्रा व्यय परामर्शदाता (भोजन तथा आवास) | - | 30,850 | 1,181 | 29,669 |
| 404117 | यात्रा व्यय परामर्शदाता - अन्य | - | 639 | 24 | 615 |
| 404153 | पुस्तकें एवं पत्रिकाएं | - | 4,838 | 570 | 4,268 |
| 404155 | बिजली एवं पानी प्रभार | - | 37,616 | 557 | 37,059 |
| 404156 | फोटोग्राफी व्यय | - | 2,184 | 82 | 2,102 |
| 404159 | अनुवाद | - | 9,351 | 4,394 | 4,957 |
| 404251 | पट्टा किराया - वाहन | - | 77,468 | 5,794 | 71,674 |
| 404252 | विधिक एवं दायर करने के शुल्क | - | 3,53,365 | 13,138 | 3,40,227 |
| 404253 | वाहन के लिए जनशक्ति | - | 1,51,328 | 29,941 | 1,21,387 |
| 404254 | बैठक व्यय | - | 2,20,197 | 10,671 | 2,09,526 |
| 404321 | कार्यालय रख रखाव | - | 5,06,347 | 57,012 | 4,49,335 |
| 404322 | कार्यालय किराया | - | 2,26,353 | 73,347 | 1,53,006 |
| 404324 | सरकारी मेजबानी | - | 85,600 | 1,719 | 83,881 |
| 404352 | डाक एवं कोरियर | - | 25,592 | 1,183 | 24,409 |
| 404353 | मुद्रण एवं लेखन सामग्री | - | 4,17,813 | 72,189 | 3,45,624 |
| 404354 | बाहर से साधन लेने का व्यय | - | 75,62,919 | 3,62,258 | 72,00,661 |
| 404355 | कम्प्यूटर किराए पर लेने के प्रभार | - | 53,486 | 7,023 | 46,463 |
| 404356 | फर्नीचर किराया | - | 85,586 | 13,205 | 72,381 |
| 404363 | व्यावसायिक प्रभार | - | 71,496 | 2,631 | 68,865 |
| 404501 | सुरक्षा व्यय | - | 3,49,088 | 11,868 | 3,37,220 |
| 404604 | निकासी टिप्पणी पर व्यय | - | 41,11,026 | 41,11,026 | - |
| 404671 | प्रशिक्षण व्यय | - | 1,09,898 | 16,848 | 93,050 |
| 404701 | वाहन किराए पर लेने और संचालन का व्यय | - | 21,25,272 | 1,80,637 | 19,44,635 |
| 406103 | बैंक प्रभार | - | 649 | - | 649 |
| 920407 | टीडीएस की स्वीकृति - 194 जे के तहत/गैर कंपनी | - | 9,750 | 9,750 | - |
| | | - | 28,54,93,515 | 28,54,93,515 | - |

मुद्रा: भारतीय रुपये
 शेष का प्रकार: वर्ष की दिनांक
 कंपनी रैंज: 2005 से 2005

बही: पीएफसीसीएल बही
 कंपनी: 2004 कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

| खाता | विवरण | आरंभिक शेष | निकासी | जमा | अंतिम शेष |
|--------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 101101 | कम्प्यूटर एवं ईडीपी उपस्कर | 1,690.39 | - | - | 1,690.39 |
| 101102 | फर्नीचर एवं फिटिंग्स | 2,940.94 | - | - | 2,940.94 |
| 101103 | कार्यालय उपस्कर | 143.27 | 15.64 | 15.64 | 143.27 |
| 101104 | इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट | 1,157.87 | - | - | 1,157.87 |
| 101106 | भूमि - फ्रीहोल्ड | 83,57,437.37 | - | - | 83,57,437.37 |
| 101201 | संचित मूल्य हास - कम्प्यूटर एवं ईडीपी उपस्कर | (1,586.20) | - | 5.31 | (1,591.51) |
| 101202 | संचित मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स | (961.17) | - | 161.49 | (1,122.66) |
| 101203 | संचित मूल्यहास - कार्यालय उपस्कर | (136.11) | - | 126.68 | (262.79) |
| 101204 | संचित मूल्यहास - इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट | (669.88) | - | - | (669.88) |
| 101401 | परिसंपत्तियों की स्वीकृति | 11,80,941.25 | - | - | 11,80,941.25 |
| 101402 | भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय | 41,541.30 | 1,05,252.92 | - | 1,46,794.22 |
| 101403 | भूमि के लिए पूंजीगत अग्रिम | 86,28,260.78 | 17,40,320.43 | - | 1,03,68,581.21 |
| 102301 | चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) अन्य | 9,48,038.46 | - | - | 9,48,038.46 |
| 104111 | भूमि के लिए जमा | - | 14,016.53 | 14,016.53 | - |
| 104130 | पीएफसी से वसूली योग्य | 2,87,980.00 | 600.00 | - | 2,88,580.00 |
| 104152 | विक्रेताओं को अग्रिम | - | 51.79 | 51.79 | - |
| 104272 | आय कर प्रतिदाय | 1,539.26 | - | - | 1,539.26 |
| 104413 | आईजीएसटी अंतरिम वसूली खाता | - | 22.46 | 22.46 | - |
| 104421 | एसजीएसटी वसूली खाता | - | 18.46 | 18.46 | - |
| 104503 | सुरक्षा जमा - अन्य | 106.50 | - | - | 106.50 |
| 106207 | एसबीआई-30118623634 | 143.52 | 20,131.31 | 20,137.80 | 137.03 |
| 107233 | पीएफसी से प्राप्त योग्य ब्याज | 10,64,988.23 | - | - | 10,64,988.23 |
| 201151 | लाभ एवं हानि | (3,208.90) | - | - | (3,208.90) |
| 201201 | इक्विटी शेयर पूंजी | (5,000.00) | - | - | (5,000.00) |
| 202201 | प्रतिबद्धता अग्रिम | (40,00,000.00) | - | - | (40,00,000.00) |
| 202202 | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि | (83,57,437.37) | - | - | (83,57,437.37) |
| 204102 | व्यापार देय - परामर्शदाता/समन्वय | - | 18,272.45 | 18,272.45 | - |
| 204105 | व्यापार देय- अन्य | (62,591.97) | 1,29,503.61 | 67,964.63 | (1,052.99) |
| 204152 | पीएफसी को देय | (37,10,491.25) | 1,09,842.09 | 9,35,648.99 | (45,36,298.15) |
| 204153 | पीएफसीसीएल को देय | - | 15,108.26 | 15,108.26 | - |
| 205070 | भूमि के लिए अग्रिम | - | 1,05,252.92 | 1,05,252.92 | - |
| 205153 | सुरक्षा जमा -विक्रेता | (4,000.00) | - | - | (4,000.00) |
| 205154 | निदेशक जमा (नामांकन) | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
| 205341 | एसजीएसटी खाता देयता (आरसीएम) | - | 0.45 | 0.45 | - |

| | | | | | |
|--------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 205342 | सीजीएसटी खाता देयता (आरसीएम) | - | 0.45 | 0.45 | - |
| 205406 | 194 जे के तहत टीडीएस/कंपनी | (87.75) | 41,395.48 | 50,440.31 | (9,132.58) |
| 205410 | 194 ए के तहत टीडीएस/कंपनी | (47,054.80) | 47,054.80 | 46,600.00 | (46,600.00) |
| 206102 | पीएफसी को देय ब्याज | (8,88,437.37) | - | 6,53,615.44 | (15,42,052.81) |
| 206103 | खरीददारों को देय ब्याज | (34,35,246.37) | - | 4,19,399.99 | (38,54,646.36) |
| 400101 | परामर्शी व्यय | - | 34,424.02 | 6,133.75 | 28,290.27 |
| 400305 | कैटीन व्यय | - | 5,960.48 | 825.76 | 5,134.72 |
| 400306 | पट्टा किराया | - | 77.00 | - | 77.00 |
| 400331 | अन्य कल्याण व्यय (कर्मचारी लागत) | - | 161.79 | - | 161.79 |
| 401101 | मूल्यहास - कम्प्यूटर एवं ईडीपी उपस्कर | - | 5.31 | - | 5.31 |
| 401102 | मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स | - | 161.49 | - | 161.49 |
| 401103 | मूल्यहास - कार्यालय उपस्कर | - | 126.68 | - | 126.68 |
| 402151 | लेखा परीक्षा शुल्क | - | 1,623.00 | 472.50 | 1,150.50 |
| 402201 | जनशक्ति प्रभार | - | 4,35,205.48 | 37,811.03 | 3,97,394.45 |
| 402401 | प्रयुक्त हिस्से पर ब्याज व्यय | - | 11,19,615.43 | - | 11,19,615.43 |
| 404101 | दूरभाष व्यय (परामर्शदाता) | - | 176.29 | - | 176.29 |
| 404103 | दूरभाष व्यय (कर्मचारी) | - | 1,601.69 | 39.45 | 1,562.24 |
| 404111 | स्थानीय परिवहन प्रतिपूर्ति | - | 6.24 | - | 6.24 |
| 404112 | टुअर एवं यात्रा व्यय - कर्मचारी (लॉज) | - | 2,344.57 | 125.08 | 2,219.49 |
| 404113 | टुअर एवं यात्रा व्यय - कर्मचारी (अन्य) | - | 1,627.10 | 20.15 | 1,606.95 |
| 404114 | टुअर एवं यात्रा व्यय - कर्मचारी - (आरण) | - | 6,971.64 | 132.74 | 6,838.90 |
| 404115 | यात्रा व्यय परामर्शदाता (हवाई) | - | 6,669.91 | 979.46 | 5,690.45 |
| 404116 | यात्रा व्यय परामर्शदाता (बोर्ड) | - | 3,231.42 | - | 3,231.42 |
| 404117 | यात्रा व्यय परामर्शदाता - अन्य | - | 1,331.01 | - | 1,331.01 |
| 404153 | पुस्तकें एवं पत्रिकाएं | - | 39.26 | - | 39.26 |
| 404155 | बिजली एवं पानी प्रभार | - | 580.34 | - | 580.34 |
| 404156 | फोटोग्राफी व्यय | - | 12.84 | - | 12.84 |
| 404157 | मानदेय | - | 135.66 | 53.27 | 82.39 |
| 404251 | पट्टा किराया - वाहन | - | 482.31 | 132.98 | 349.33 |
| 404252 | विधिक एवं दायर करने के शुल्क | - | 12,198.12 | 2,078.00 | 10,120.12 |
| 404253 | वाहन के लिए जनशक्ति | - | 685.78 | 119.45 | 566.33 |
| 404254 | बैठक व्यय | - | 6,493.25 | 1,131.77 | 5,361.48 |
| 404321 | कार्यालय रख रखाव | - | 6,468.41 | 578.45 | 5,889.96 |
| 404322 | कार्यालय किराया | - | 2,575.73 | 171.48 | 2,404.25 |
| 404324 | सरकारी मेजबानी | - | 364.78 | - | 364.78 |
| 404325 | सरकारी मेजबानी (कर्मचारी लागत) | - | 10.06 | - | 10.06 |
| 404352 | डाक एवं कोरियर | - | 232.04 | 17.21 | 214.83 |
| 404353 | मुद्रण एवं लेखन सामग्री | - | 3,469.18 | 117.65 | 3,351.53 |
| 404354 | बाहर से साधन लेने का व्यय | - | 1,04,791.80 | 12,202.82 | 92,588.98 |
| 404355 | कम्प्यूटर किराए पर लेने के प्रभार | - | 878.55 | - | 878.55 |
| 404356 | फर्नीचर किराया | - | 976.57 | 232.29 | 744.28 |
| 404362 | अवधि पूर्व व्यय | - | 166.33 | 234.38 | (68.06) |
| 404363 | व्यावसायिक प्रभार | - | 16,379.92 | 1,731.80 | 14,648.12 |
| 404501 | सुरक्षा व्यय | - | 2,885.40 | 47.40 | 2,838.00 |

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 404604 | निकासी टिप्पणी पर व्यय | - | 34,444.81 | 34,444.81 | - |
| 404611 | एसजीएसटी व्यय खाता | - | 13.91 | 13.91 | - |
| 404612 | सीजीएसटी व्यय खाता | - | 13.91 | 13.91 | - |
| 404613 | आईजीएसटी व्यय खाता | - | 12.40 | 12.40 | - |
| 404631 | एसजीएसटी व्यय खाता - (आरसीएम) | - | 0.45 | 0.45 | - |
| 404632 | सीजीएसटी व्यय खाता - (आरसीएम) | - | 0.45 | 0.45 | - |
| 404671 | प्रशिक्षण व्यय | - | 47.70 | - | 47.70 |
| 404701 | वाहन किराए पर लेने और संचालन का व्यय | - | 27,835.11 | 3,326.86 | 24,508.25 |
| 406103 | बैंक प्रभार | - | 6.49 | - | 6.49 |
| 406501 | सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित व्यय | - | - | 17,40,320.43 | (17,40,320.43) |
| 910002 | स्वीकृति खाता | - | 61,568.22 | 61,568.22 | - |
| 920406 | टीडीएस की स्वीकृति - 194 जे के तहत/कंपनी | - | 2,624.90 | 2,624.90 | - |
| 940001 | संदेह नियंत्रण | - | - | 0.00 | (0.00) |
| | | (83,60,01,648) | 42,58,55,962 | 42,58,26,614 | (83,59,72,300) |

ओडिशा इंटीग्रेटिड पावर लि. (एसपीवी-7) - वित्तीय वर्ष 16-17

| विवरण | राशि | | | शीर्ष | शीर्ष |
|---|-------------|-------------|----------------|--|-----------------------------------|
| शेयर पूंजी | (5,000) | (5,000) | (5,00,000) | शेयर पूंजी | शेयर पूंजी |
| | - | - | | देय व्यय | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| बैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाइ कंपनी लिमिटेड | (6,50,000) | (6,50,000) | (6,50,00,000) | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ एपी लिमिटेड | (4,00,000) | (4,00,000) | (4,00,00,000) | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| केरल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड | (3,00,000) | (3,00,000) | (3,00,00,000) | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी | (4,00,000) | (4,00,000) | (4,00,00,000) | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| मंगलौर स्टेट इलैक्ट्रिसिटी सप्लाइ कंपनी लिमिटेड | (1,50,000) | (1,50,000) | (1,50,00,000) | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड | (2,00,000) | (2,00,000) | (2,00,00,000) | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| तमिलनाडु जेन. एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपो. लि. | (16,00,000) | (16,00,000) | (16,00,00,000) | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| यू. पी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड | (3,00,000) | (3,00,000) | (3,00,00,000) | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| | - | - | | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| | - | - | | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| | - | - | | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| | - | - | | प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट-14 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| बेसकॉम को देय ब्याज | (5,68,570) | (5,68,570) | (5,68,57,002) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| मेसकॉम को देय ब्याज | (1,26,524) | (1,26,524) | (1,26,52,437) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| पीएसपीसीएल को देय ब्याज | (21,175) | (21,175) | (21,17,466) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| टीएनजेडको को देय ब्याज | (14,09,351) | (14,09,351) | (14,09,35,095) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| के. एस. ई. बी. को देय ब्याज | (2,52,512) | (2,52,512) | (2,52,51,236) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| एम. एस. ई. डी. सी. एल. को देय ब्याज | (3,45,854) | (3,45,854) | (3,45,85,353) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| पीएफसी को देय ब्याज | (8,88,437) | (8,88,437) | (8,88,43,737) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| पी. एस. ई. बी. को देय ब्याज | (1,51,752) | (1,51,752) | (1,51,75,213) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| सेंट्रल पावर डिस्ट्री. कं. ऑफ एपी को देय ब्याज | (2,97,329) | (2,97,329) | (2,97,32,917) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| यू. पी. पी. सी. एल. को देय ब्याज | (2,62,179) | (2,62,179) | (2,62,17,918) | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| | - | - | | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| | - | - | | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| | - | - | | बीमांकिक ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए एपीसीपीडीसीएल | (3,84,943) | (3,84,943) | (3,84,94,336) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए एपीईपीडीसीएल | (1,32,047) | (1,32,047) | (1,32,04,744) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------|--|--------------------------------------|
| भूमि के लिए एपीएनडीडीसीएल | (1,32,632) | (1,32,632) | (1,32,63,246) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए एपीएसपीडीसीएल | (1,86,120) | (1,86,120) | (1,86,12,003) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए बेसकॉम | (8,35,743) | (8,35,743) | (8,35,74,329) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए सीईएससी | (2,50,723) | (2,50,723) | (2,50,72,299) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए डीवीवीएनएल | (1,25,361) | (1,25,361) | (1,25,36,149) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए गेसकॉम | (1,67,149) | (1,67,149) | (1,67,14,866) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए हेसकॉम | (1,67,149) | (1,67,149) | (1,67,14,866) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए केएसईबी | (6,26,807) | (6,26,807) | (6,26,80,746) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए मेसकॉम | (2,50,723) | (2,50,723) | (2,50,72,299) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए एमएसईडीसीएल | (8,35,743) | (8,35,743) | (8,35,74,329) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए एमवीवीएनएल | (62,681) | (62,681) | (62,68,074) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए पीएवीवीएनएल | (3,76,084) | (3,76,084) | (3,76,08,448) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए पीएसईबी | (4,17,876) | (4,17,876) | (4,17,87,614) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए पीवीवीएनएल | (62,681) | (62,681) | (62,68,075) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| भूमि के लिए टेनजेडको | (33,42,973) | (33,42,973) | (33,42,97,314) | भूमि के लिए खरीददारों से प्राप्त राशि (नोट 19 देखें) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| लेखा परीक्षा शुल्क पर टीडीएस | (88) | (88) | (8,775) | सांविधिक देय (स्रोत पर काटा गया कर) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| 194ए के तहत टीडीएस | (47,055) | (47,055) | (47,05,480) | सांविधिक देय (स्रोत पर काटा गया कर) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| | - | - | | सांविधिक देय (स्रोत पर काटा गया कर) | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| राज के. श्री एंड कं. | (1,024) | (1,024) | (1,02,375) | देय व्यय | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| तहसीलदार मधुरंथागम | (61,568) | (61,568) | (61,56,822) | देय व्यय | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| मैसर्स वेपकोस लि. (ईएमडी) (वित्तीय वर्ष 08-09) | (4,000) | (4,000) | (4,00,000) | देय व्यय | टिप्पणी सं. 6 - अन्य चालू देयताएं |
| पीएफसी को देय | (37,10,491) | (37,10,491) | (37,10,49,125) | संबद्ध पक्षकार से ऋण और अग्रिम | टिप्पणी सं. 5 - अल्प अवधि उधार |
| भूमि अधिग्रहण (व्यय) | 4,00,741 | 4,00,741 | 4,00,74,089 | भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय (टिप्पणी 20) | टिप्पणी सं. 8 - चल रहे पूंजीगत कार्य |
| एसपीवी-08/एलए (प्रशासनिक व्यय - भूमि अधिग्रहण) | 6,46,136 | 6,46,136 | 6,46,13,606 | भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय (टिप्पणी 20) | टिप्पणी सं. 8 - चल रहे पूंजीगत कार्य |
| वन भूमि के लिए वनरोपण क्षतिपूर्ति | 1,34,064 | 1,34,064 | 1,34,06,430 | भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय (टिप्पणी 20) | टिप्पणी सं. 8 - चल रहे पूंजीगत कार्य |
| चल रहे पूंजीगत कार्य | 72,17,964 | 72,17,964 | 72,17,96,375 | सीडब्ल्यूआईपी | सीडब्ल्यूआईपी |
| अन्य प्राप्त | - | - | | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां |
| ईडीपी उपस्कर संबंधी मूल्यहास | (1,586) | (1,586) | (1,58,620) | संचित मूल्यहास ईडीपी | अचल परिसंपत्ति |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर्स संबंधी मूल्यहास | (961) | (961) | (96,117) | संचित मूल्यहास फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | अचल परिसंपत्ति |
| कार्यालय एवं अन्य उपस्कर संबंधी मूल्यहास | (806) | (806) | (80,599) | संचित मूल्यहास फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | अचल परिसंपत्ति |
| भूमि | 83,57,437 | 83,57,437 | 83,57,43,737 | | |
| कम्प्यूटर एवं एसेसरीज | 1,690 | 1,690 | 1,69,039 | सकल ब्लॉक ईडीपी उपस्कर | अचल परिसंपत्ति |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--|---|
| कार्यालय उपस्कर एवं अन्य | 1,301 | 1,301 | 1,30,114 | सकल ब्लॉक कार्यालय और अन्य उपस्कर | अचल परिसंपत्ति |
| कार्यालय फर्नीचर | 2,941 | 2,941 | 2,94,094 | सकल ब्लॉक फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | अचल परिसंपत्ति |
| चेन लिफ्टिंग एवं फेंसिंग के लिए अग्रिम - ईई पीडब्ल्यूडी | 2,87,980 | 2,87,980 | 2,87,98,000 | जल संसाधन विभाग | टिप्पणी सं. 9 - दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम |
| भूमि अधिग्रहण व्यय के लिए अग्रिम | 41,541 | 41,541 | 41,54,130 | आईडीसीओ को अग्रिम (भूमि के लिए सुरक्षित संरक्षण) | टिप्पणी सं. 9 - दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम |
| पशुपालन एवं मतस्य पालन के लिए भूमि हेतु जमा | 9,48,038 | 9,48,038 | 9,48,03,846 | पूंजीगत अग्रिम (भूमि के लिए जमा) | टिप्पणी सं. 9 - दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम |
| भारतीय स्टेट बैंक (खाता सं. 30118623634) | 144 | 144 | 14,352 | चालू खाते में | टिप्पणी सं. 10 - नकदी एवं नकदी समतुल्य |
| पीएफसी से प्राप्य ब्याज | 10,64,988 | 10,64,988 | 10,64,98,823 | बीमांकिक ब्याज परंतु संबद्ध पक्षकार से देय नहीं | टिप्पणी सं. 12 - अन्य चालू परिसंपत्तियां |
| फर्नीचर के लिए जमा - वापसी योग्य (ब्राउन स्टार इंट.) | 107 | 107 | 10,650 | संबद्ध पक्षकार से ऋण एवं अग्रिम | टिप्पणी सं. 11 - अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम |
| आय कर प्रतिदाय (2013-14) | 1,539 | 1,539 | 1,53,926 | व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (नबक्रुष्णा) | टिप्पणी सं. 11 - अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम |
| | - | - | | व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (एमईसीएल)-डिप साइड | टिप्पणी सं. 11 - अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम |
| | - | - | | व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (एमईलीएल) - मीनाक्षी कोल | टिप्पणी सं. 11 - अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम |
| | - | - | | साधन अवशिष्ट प्रभार (एसईसीआर) | टिप्पणी सं. 9 - दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम |
| | - | - | | अन्य आय | अन्य आय |
| प्रशासनिक व्यय - विज्ञापन | (0) | (0) | (40) | विज्ञापन व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - पुस्तकें एवं पत्रिकाएं | 32 | 32 | 3,215 | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - कैटीन व्यय | 3,539 | 3,539 | 3,53,907 | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - कम्प्यूटर किराए पर लेने के प्रभार | 984 | 984 | 98,413 | मरम्मत एवं रख रखाव | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - सम्मेलन एवं बैठक | 3,900 | 3,900 | 3,90,047 | सम्मेलन एवं बैठक | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - परामर्शी प्रभार | 53,921 | 53,921 | 53,92,097 | परामर्शी प्रभार एवं व्यावसायिक शुल्क | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - बिजली (भुवनेश्वर) | - | - | | बिजली व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - बिजली (सुंदरगढ़) | - | - | | बिजली व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - बिजली एवं पानी | 118 | 118 | 11,765 | बिजली व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय गृह व्यवस्था | - | - | | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - विधिक एवं दायर करने के शुल्क | 9,065 | 9,065 | 9,06,475 | विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - स्थानीय परिवहन | 24 | 24 | 2,397 | युअर एवं यात्रा व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - वाहन के लिए जनशक्ति | 462 | 462 | 46,150 | वाहन किराए पर लेने के प्रभार | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - कार्यालय रख रखाव | 5,363 | 5,363 | 5,36,334 | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - कार्यालय किराया | 2,835 | 2,835 | 2,83,475 | किराया | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - सरकारी मेजबानी | 178 | 178 | 17,762 | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - डाक एवं कोरियर | 261 | 261 | 26,080 | डाक एवं कोरियर | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 4,708 | 4,708 | 4,70,822 | मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - प्रक्रिया शुल्क | - | - | - | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |

| | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|--|---|
| प्रशासनिक व्यय - व्यावसायिक प्रभार | 23,027 | 23,027 | 23,02,659 | परामर्शी प्रभार एवं व्यावसायिक शुल्क | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - फर्नीचर किराया | 773 | 773 | 77,298 | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - मरम्मत एवं रख रखाव | 241 | 241 | 24,063 | मरम्मत एवं रख रखाव | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - सुरक्षा प्रभार | 3,720 | 3,720 | 3,72,041 | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - दूरभाष | 1,011 | 1,011 | 1,01,102 | दूरभाष व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - दूरभाष परामर्शदाता | 870 | 870 | 87,022 | दूरभाष व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - टुअर एवं यात्रा | 38,279 | 38,279 | 38,27,896 | टुअर एवं यात्रा व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - वाहन किराए पर लेने के प्रभार | 26,029 | 26,029 | 26,02,918 | वाहन किराए पर लेने के प्रभार | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - वाहन पट्टा किराया | 189 | 189 | 18,941 | वाहन किराए पर लेने के प्रभार | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - वाहन संचालन व्यय | - | - | - | वाहन किराए पर लेने के प्रभार | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| प्रशासनिक व्यय - सामयिक कर्मचारियों की मजदूरी | 47,582 | 47,582 | 47,58,239 | बाहर से साधन लेने के व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| बैंक प्रभार | 0 | 0 | 3 | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| अवधि पूर्व व्यय | 98 | 98 | 9,750 | अन्य प्रशासनिक व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| जनशक्ति प्रभार | 2,23,685 | 2,23,685 | 2,23,68,483 | जनशक्ति प्रभार | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| जेबर से बाहर व्यय | - | - | - | जेबर से बाहर व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| सर्वेक्षण एवं अध्ययन | - | - | - | परामर्शी प्रभार एवं व्यावसायिक शुल्क | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| लेखा परीक्षा शुल्क | 1,121 | 1,121 | 1,12,125 | लेखा परीक्षा शुल्क | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| मूल्यहास | 907 | 907 | 90,732 | मूल्यहास | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| अतिरिक्त प्रावधान वापस लिया गया | - | - | - | घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान वापस लिया गया | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| ब्याज व्यय | 9,57,356 | 9,57,356 | 9,57,35,630 | ब्याज व्यय | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| देरी से दायर करने के शुल्क | 18 | 18 | 1,800 | | |
| टीडीएस पर ब्याज | 1 | 1 | 103 | टीडीएस पर ब्याज | टिप्पणी सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय |
| आय कर व्यय | - | - | - | चालू कर | चालू कर |
| रिजर्व एवं अधिशेष | (3,209) | (3,209) | (3,20,890) | रिजर्व एवं अधिशेष | रिजर्व एवं अधिशेष |
| कुल जोड़ | (0) | | - | | |

| इंड एस समायोजन | | मौजूदा जीएएपी | समायोजित | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| आवर्ती मर्दे | पारगमन मर्दे | इंड एस समायोजन | अन्य समायोजन | राशि |
| | | | | (5,00,000) |
| | | | | (1,49,49,437) |
| | | | | (1,44,00,000) |
| | | | | (2,00,00,000) |
| | | | | (2,00,00,000) |
| | | | | (13,00,00,000) |
| | | | | (1,44,00,000) |
| | | | | (1,12,00,000) |
| | | | | (4,00,00,000) |
| | | | | (5,00,00,000) |
| | | | | (3,00,00,000) |
| | | | | (2,00,00,000) |
| | | | | (3,00,00,000) |
| | | | | (2,00,00,000) |
| | | | | (1,37,96,801) |
| | | | | (1,93,21,586) |
| | | | | (1,94,56,645) |
| | | | | (11,91,07,863) |
| | | | | (1,40,51,262) |
| | | | | (1,08,30,283) |
| | | | | (3,67,10,145) |
| | | | | (22,43,90,686) |
| | | | | (4,85,49,740) |
| | | | | (2,83,12,051) |
| | | | | (1,94,56,645) |
| | | | | (1,94,41,308) |
| | | | | (2,88,86,682) |
| | | | | (35,93,29,330) |
| | | | | (16,02,58,979) |
| | | | | (51,95,88,308) |
| | | | | (3,37,73,24,009) |
| | | | | (88,91,76,618) |
| | | | | (1,08,00,68,624) |
| | | | | (21,89,02,087) |
| | | | | (86,40,96,239) |
| | | | | (2,51,21,719) |
| | | | | (53,89,93,995) |
| | | | | (51,95,88,310) |
| | | | | (35,93,29,330) |
| | | | | (66,68,82,464) |
| | | | | (7,813) |
| | | | | (47,05,479) |
| | | | | (15,88,486) |
| | | | | (82,031) |
| | | | | (42,39,706) |
| | | | | (51,49,187) |
| | | | | (40,89,88,651) |
| | | | | 88,64,25,172 |
| | | | | 16,63,49,943 |
| | | | | 1,53,37,07,783 |
| | | | 1 | 1 |
| | | | | (6,22,811) |
| | | | | (3,37,606) |
| | | | | (1,83,748) |
| | | | | 6,56,066 |
| | | | | 2,07,153 |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | | | 6,14,724 |
| | | | 2,10,00,000 |
| | | | 6,59,40,000 |
| | | | 7,69,99,89,155 |
| | | | 18,76,60,346 |
| | | | 6,51,46,403 |
| | | | 5,54,86,349 |
| | | | 45,47,169 |
| | | | 54,05,109 |
| | | | 65,01,674 |
| | | | 15,000 |
| | | | (12,88,203) |
| | | | 3,47,289 |
| | | | 9,159 |
| | | | 3,51,219 |
| | | | 999 |
| | | | 6,90,202 |
| | | | 3,27,34,382 |
| | | | 43,734 |
| | | | 1,67,829 |
| | | | 99,510 |
| | | | 51,820 |
| | | | 4,04,603 |
| | | | 3,138 |
| | | | 32,343 |
| | | | 5,57,682 |
| | | | 19,65,247 |
| | | | 1,29,344 |
| | | | 63,727 |
| | | | 6,15,881 |
| | | | 1,74,95,185 |
| | | | 6,27,06,623 |
| | | | 1,94,810 |
| | | | 24,063 |
| | | | 9,37,530 |
| | | | 1,15,843 |
| | | | 1,99,354 |
| | | | 66,32,900 |
| | | | 27,44,678 |
| | | | 40,647 |
| | | | 6,967 |
| | | | 94,63,225 |
| | | | 86 |
| | | | 9,23,92,319 |
| | | | 23,000 |
| | | | 12,41,961 |
| | | | 89,844 |
| | | | 1,25,694 |
| | | | (12,27,663) |
| | | | 8,99,44,557 |
| | | | 1,792 |
| | | | 3,82,994 |
| | | | 21,58,304 |
| | | | 1 |

| क्रम सं. | | माना | प्रति यूनिट दर | वर्ष एवं तिथि/प्रयुक्त तिथि को रखा गया | 01.04.2010 को आरंभिक डब्ल्यूडीवी | निवेश मूल्य | कुल लागत | परिसंपत्ति के प्रयोग की अंतिम तिथि | अनुसूची II के अनुसार | 2017-18 | | | | | 2018-19 | | | | |
|----------|-------------------------------------|------|----------------|--|----------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | मूल्यहास दर | दिनों में शेष उपयोगी जीवनकाल | दिनों की संख्या | 01.04.17 को आरंभिक डब्ल्यूडीवी | वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यहास | 31.03.18 की स्थिति के अनुसार अंतिम डब्ल्यूडीवी | दिनों में शेष उपयोगी जीवनकाल | दिनों की संख्या | 01.04.18 को आरंभिक डब्ल्यूडीवी | वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मूल्यहास |
| | फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | | | | | | | | | 31-मार्च-2017 | 31-मार्च-2018 | | | | 31-मार्च-2018 | 31-मार्च-2019 | | | |
| 1 | फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | 1 | 3,300 | 9-06-2010 | | 3,300 | 3,300 | | | | | - | - | | | - | - | | |
| 3 | वुडन कार्यपालक मेज | 2 | 56,678 | 7-12-2015 | | 1,13,355 | 1,13,355 | 7-Dec-2025 | 25.89% | 3,173 | 365 | 77,174 | 6,295 | 70,878 | 2,808 | 365 | 70,878 | 18,350 | 52,528 |
| 4 | कार्यपालक घुमावदार कुर्सी | 2 | 23,186 | 7-12-2015 | | 46,373 | 46,373 | 7-Dec-2025 | 25.89% | 3,173 | 365 | 31,571 | 2,575 | 28,996 | 2,808 | 365 | 28,996 | 7,507 | 21,489 |
| 5 | वुडन एक्सक्लूसिव कुसन्ड विजिटर चेयर | 7 | 6,211 | 7-12-2015 | | 43,474 | 43,474 | 7-Dec-2025 | 25.89% | 3,173 | 365 | 29,598 | 2,414 | 27,183 | 2,808 | 365 | 27,183 | 7,038 | 20,146 |
| 6 | सोफा सेट (पूर्णतः गद्दीवाले) | 8 | 9,661 | 7-12-2015 | | 77,288 | 77,288 | 7-Dec-2025 | 25.89% | 3,173 | 365 | 52,618 | 4,292 | 48,326 | 2,808 | 365 | 48,326 | 12,512 | 35,815 |
| 7 | वुडन साइड टेबल | 2 | 5,153 | 7-12-2015 | | 10,305 | 10,305 | 7-Dec-2025 | 25.89% | 3,173 | 365 | 7,016 | 572 | 6,443 | 2,808 | 365 | 6,443 | 1,668 | 4,775 |
| | | | | | | | | | | | | 1,97,976 | 16,149 | 1,81,827 | | | 1,81,827 | 47,075 | 1,34,752 |
| | वैद्युत संस्थापना एवं उपस्कर | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | इंवर्टर | 5 | 23,157 | 7-05-2014 | | 1,15,787 | 1,15,787 | 7-May-2024 | 25.89% | 2,594 | 365 | 48,798 | 12,668 | 36,130 | 2,229 | 365 | 36,130 | 9,354 | 26,776 |
| | | | | | | | | | | | | 48,798 | 12,668 | 36,130 | | | 36,130 | 9,354 | 26,776 |
| | ईडीपी उपस्कर | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | कम्प्यूटर एवं प्रिंटर | 1 | 49,445 | 15-03-2010 | 49337 | 49,445 | 49,445 | 15-03-2013 | | | | 2,472 | - | 2,472 | | | 2,472 | - | 2,472 |
| 2 | एक प्रिंटर | 1 | 33,290 | 6-04-2010 | | 33,290 | 33,290 | 6-04-2013 | | | | 1,665 | - | 1,665 | | | 1,665 | - | 1,665 |
| 3 | कम्प्यूटर एवं प्रिंटर | 1 | 16,425 | 14-07-2010 | | 16,425 | 16,425 | 14-07-2013 | | | | 821 | - | 821 | | | 821 | - | 821 |
| 4 | लैपटॉप | 1 | 56,500 | 12/11/2009 | | 56,500 | 56,500 | 12-11-2012 | | | | 2,825 | - | 2,825 | | | 2,825 | - | 2,825 |
| 5 | प्रिंटर | 1 | 8,315 | 14-10-2014 | | 8,315 | 8,315 | 14-10-2017 | 63.16% | 197 | 365 | 798 | 506 | 293 | | | 293 | - | 293 |
| 6 | बाह्य हार्ड डिस्क | 1 | 5,064 | 23-03-2016 | 5064 | 5,064 | 5,064 | 24-03-2019 | 63.16% | 723 | 365 | 1,840 | 25 | 1,814 | 358 | 365 | 1,814 | 1,146 | 668 |
| | | | | | | | | | | | | 10,421 | 531 | 9,890 | | | 9,890 | 1,146 | 8,744 |
| | कार्यालय उपस्कर | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | फैक्स मशीन | 1 | 14,327 | 24-03-2010 | 14201 | 14,327 | 14,327 | 24-03-2015 | 91.24% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,93,247 | 5,93,247 | | 0.9260 | | | 716 | - | 716 | | | 716 | - | 716 |
| | | | | | | | | | | | | 716 | - | 716 | | | 716 | - | 716 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2,57,912 | 29,349 | 2,28,563 | | | 2,28,563 | 57,575 | 1,70,988 |